ज्ञान गरिमा सिंधु

संयुक्तांकः 27

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार
Commission for Scientific and Technical Terminology
Ministry of Human Resource Development
(Department of Higher Education)
Government of India

ज्ञान गरिमा सिंधु
(त्रैमासिक पत्रिका)

अंक-27
जुलाई–सितंबर 2010

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
भारत सरकार

2857 HRDI/11—1A

© कापीराइट 2010

प्रकाशक :
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
भारत सरकार, पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110 066

विक्रय हेतु पत्र-व्यवहार का पता :
वैज्ञानिक अधिकारी,
बिक्री एकक,
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
नई दिल्ली-110 066
दूरभाष - (011) 26105211
फैक्स - (011) 26102882

बिक्री स्थान :
प्रकाशन नियंत्रक,
प्रकाशन विभाग,
भारत सरकार,
सिविल लाइन्स,
दिल्ली - 110 054

सदस्यता शुल्क :

	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा	
व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए प्रति अंक	रु. 14.00	पौंड 1.64	डॉलर 4.84
वार्षिक चंदा	रु. 50.00	पौंड 5.83	डॉलर 18.00
विद्यार्थियों के लिए प्रति अंक	रु. 8.00	पौंड 0.93	डॉलर 10.80
वार्षिक चंदा	रु. 30.00	पौंड 3.50	डॉलर 2.88

पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं।
संपादन मंडल की इनसे सहमति अनिवार्य नहीं है।

संपादन मंडल

प्रधान संपादक

प्रो. के. बिजय कुमार
अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

संपादक

डॉ. पी. एन. शुक्ल
सहायक निदेशक

प्रकाशन

डॉ. पी. एन. शुक्ल
सहायक निदेशक

कलाकार

आलोक वाही

कर्मचंद
प्र. श्रे. लि.

जुलाई–सितंबर 2010 - अंक-27

2857 HRD/11—1B

अनुक्रम

प्रस्तावना vii

संपादकीय viii

	आलेख शीर्षक	लेखक	
1.	भारतीय कृषि का वैश्वीकरण एवं ठेका खेती	डॉ. कृष्णानंद त्रिपाठी	1
2.	वैदिक साहित्य में कर्मवाद	डॉ. एन. के. सेठी	8
3.	गढ़वाली क्रियाएँ और उनका शब्दकोशीय स्वरूप	डॉ. अचलानंद जखमोला	17
4.	अध्यापक शिक्षा : बदलते संदर्भ में	डॉ. आर. पी. पाठक	28
5.	कैंसर से बचाव	डॉ. जे. एल. अग्रवाल	36
6.	मीडिया, हिंदी और तकनीकी शब्दावली	अमित कुमार विश्वास	45
7.	समाचार–पत्रों में भाषा का आधुनिकीकरण	डॉ. श्यामा सिंह	68

विविध स्तंभ

- ☐ इस अंक के लेखक 77
- ☐ प्राप्ति स्वीकार–पत्रिकाएँ/पुस्तकें 78
- ☐ आयोग द्वारा अनुमोदित विभागीय नामकरण 81
- ☐ आयोग के कार्यक्रम में सहयोजित होने के लिए निर्धारित प्रपत्र 96
- ☐ पत्रिका की सदस्यता हेतु ग्राहक/अभिदान फार्म 97

लेखकों के लिए अनुदेश 98

- ☐ आयोग के प्रकाशनों की सूची 100
- ☐ बिक्री केंद्रों की सूची–V 108

प्रस्तावना

हिंदी के साथ संविधान की अष्टम अनुसूची में निर्दिष्ट भारतीय भाषाओं के शैक्षिक विषयों के विविध अनुशासनों के साथ साथ प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयुक्त तकनीकी शब्दावली का निर्माण करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। दरअसल भारतीय भाषाएं तकनीकी शब्द निर्माण एवं अनुप्रयोग में जितनी समुन्नत, क्रियाशील और गतिशील होंगी, उसी रफ्तार में विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, विपणन के क्षेत्र में निरंतर होने वाली खोजों, आविष्कारों को यथासमय गाँव अपनी भाषाओं में रूपांतरित–अनूदित कर सकेंगे। गाँव में बैठा व्यक्ति इन अनुसंधान प्रक्रियाओं को जान सकेगा। इन परिवर्तनों की पदचाप को हम महसूस कर सकते हैं। यह एक निर्विवाद सच्चाई है कि इस महान कार्य में मात्र आयोग का प्रयास पर्याप्त नहीं है; इसके लिए राज्य सरकार की एजेंसियों, संबद्ध संस्थाओं और व्यक्तियों को खुलकर सामने आना होगा। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, सरकारी, अर्धसरकारी प्रतिष्ठानों में आयोग द्वारा समय–समय पर आयोजित शब्दावली संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पुस्तक प्रदर्शनियों के माध्यम से यही संदेश प्रसारित किया जाता है। यह पत्रिका भी आयोग की बहुआयामी योजनाओं एवं उद्देश्यों की पूरक है।

पत्रिका के इस सारस्वत कार्य में आपका सहयोग जरूरी समझता हूँ।

इसी उम्मीद के साथ।

(प्रो. के. बिजय कुमार)
अध्यक्ष

संपादकीय

प्रस्तुत अंक में सभी स्तंभ पूर्ववत हैं किंतु "संस्था परिचय" स्तंभ हेतु कोई सामग्री प्राप्त नहीं हो सकी। प्रस्तुत अंक में शामिल आलेखों की कड़ी में "भारतीय कृषि का वैश्वीकरण एवं ठेका खेती", "वैदिक साहित्य में कर्मवाद", "गढ़वाली क्रियाएँ और उनका शब्दकोशीय स्वरूप", "मीडिया, हिंदी और तकनीकी शब्दावली" इत्यादि आलेख विषयानुरूप, सामयिक एवं सूचनात्मक हैं। पत्रिका के अन्य लेख भी स्तरीय एवं उपादेय हैं। पिछले कुछ अंकों से यह रचनात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा है कि पत्रिका के लिए क्या विषय सामग्री एवं अंतर्वस्तु हो, इस पर सहयोगी रचनाकार भी रुचि लेकर विचार कर रहे हैं और अपने स्तर पर विषय तय करके यथा अनुरूप लेख भिजवा रहे हैं। इससे संपादकीय कर्म में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिल रही है। परिणामस्वरूप पत्रिका की संप्रेषणीयता, ग्राह्यता के साथ-साथ स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। यह पत्रिका के लिए सुखद संकेत है।

इसी विश्वास एवं चुनौती के साथ।

(डॉ. पी. एन. शुक्ल)
सहायक निदेशक

भारतीय कृषि का वैश्वीकरण एवं ठेका खेती

डॉ. कृष्णानंद त्रिपाठी

वर्तमान समय वैश्वीकरण का है। हर क्षेत्र का वाणिज्यीकरण किया जा रहा है। कृषि इसकी अछूती नहीं रह सकती है। भारत की अधिकांश जनता की जीविका का साधन कृषि है। भारतीय कृषि को वैश्वीकरण के क्रम में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रतिस्पर्धा में अपनी कृषि उपज को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि कृषिकर्म को व्यापार की तरह निष्पादित किया जाए। खुला बाजार, वैश्वीकरण और बढ़ते कृषि व्यापार के युग का एक खतरा यह है कि लघु किसान अर्थव्यवस्था में पूर्णरूप से हिस्सा लेने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। भारत में ऐसे किसानों की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि बड़े फार्मों की आवश्यकता लाभकारी व्यापार के लिए निरंतर बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का पलायन ग्रामों से शहरों की ओर हो रहा है। सरकार एवं ग्रामीण विकास एजेंसियाँ इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए ग्रामीणों हेतु आय सृजन वाले कार्यक्रमों की पहचान कर उन पर जोर देने का प्रयास कर रही हैं।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसका देश की जी.डी.पी. में 17.5 प्रतिशत योगदान है। यहाँ की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है जो अधिकांशतः ग्रामों में निवास करती है। अन्नदाता कृषक वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के दुष्चक्र में फंसकर असहाय महसूस कर रहा है। सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का हिस्सा दिनों–दिन कम होता जा रहा है। अधिकतर पिछड़े एवं विकसित बाजारों के बीच उचित संबंध नहीं बन पाने के कारण ऐसा हो रहा है। ग्रामीण किसानों और छोटे उद्यमियों के बीच उत्पादन के लिए विस्तार की सलाह, मशीन सेवाएँ, बीजों, उर्वरकों, साख, सुनिश्चित एवं लाभदायक बाजारों में पर्याप्त निवेश के बारे में भी परस्पर विश्वास आदि की कमी है। सुव्यवस्थित ठेका खेती ऐसे संबंध मुहैया कर सकती है, जिस पर चलकर लघु कृषक व्यावसायिक तरीके से खेती कर सकते हैं।

अनुबंधित खेती को किसानों एवं प्रसंस्करण या विपणन फर्मों के मध्य एक समझौते के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन समझौतों के अंतर्गत एवं निर्धारित कीमतों पर निरंतर उन्नत समझौते के जरिए कृषि उत्पादों का उत्पादन एवं आपूर्ति करना शामिल है। इस अवस्था में क्रेता द्वारा निवेश की आपूर्ति एवं तकनीकी सलाह जैसी उत्पादन सहायता भी निरंतर प्रदान की जाती है। इस अवस्था की बुनियाद दो बातों पर निर्भर है– प्रथम किसान अपने उत्पादों के परिमाण एवं गुणवत्ता का एक विशिष्ट मानक बनाए रखें। दूसरे कंपनियाँ, किसानों के उत्पादन एवं माल की खरीदारी में सही समय पर सहायता करें।

ठेका पद्धति में किसान ठेकेदार द्वारा बताई फसल का उत्पादन करेगा और उस उपज को ठेकेदार को बेच देगा। ठेकेदार कृषक को बीज, खाद कीटनाशक आदि उपलब्ध कराएगा,

साथ ही इस्तेमाल करने का वैज्ञानिक तरीका भी बताएगा। ठेका खेती की भारत में अपार संभावनाएँ विद्यमान हैं। इस बात का प्रयास करना चाहिए कि ठेका खेती को अधिकता से प्रयुक्त करने के फैसले में व्यावसायिकता होनी चाहिए।

विश्व व्यापार संगठन के नियमानुसार 1 अप्रैल, 2005 से निर्यातकों के लिए यह बताना अनिवार्य कर दिया गया है कि उनके उत्पाद का उद्‌गम स्थान, प्रजाति, बीज, खाद या अन्य कौन सा तत्व फसल के उत्पादन में प्रयोग किया गया है। ये सभी तकनीकी बातें एक साधारण किसान की समझ से परे हैं। इन नियमों से कृषि ढाँचे में काफी परिवर्तन आ गया है। सब कुछ नए सिरे से संगठित करना पड़ रहा है। निर्यातकों को यह सब जानकारी कोई अनुभवी एजेन्सी ही दे सकती है। इसके अलावा कृषि आधारित उत्पाद तैयार करने वाले कई बड़े औद्‌योगिक समूहों ने निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कम लागत और अच्छी गुणवत्ता के बाजार आधारित ऐसे मॉडल तैयार करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं जिससे कृषकों को फायदा होगा। अनुबंधित खेती करवाने का उद्‌देश्य फसलों में विविधता लाना है। यह इसलिए जरूरी है कि विभिन्न स्तर पर विभिन्न फसलों को सिंचाई, जल, खाद और कीटनाशक की आवश्यकता होती है, उन्हें ऐसी फसलों से परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो, उत्पादकों और खाद संवर्धन से जुड़ी कंपनियों को एक–दूसरे के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि ऐसे उत्पादकों के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र में तैयार बाजार उपलब्ध है।

ठेका खेती से ऐसा लगता है कि देश में 1960 के दशक की कृषि में आई हरित क्रांति जैसा बदलाव आएगा, परंतु ऐसा है नहीं। जोभी बदलाव आने की संभावना है, वह संपन्न किसानों

को ही मिलेगा, क्योंकि उनके पास मशीन और उन्नत बीजों में निवेश के लिए पैसा है।

अनुबंध की व्यवस्था निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में से प्रत्येक पर प्रबंधन की गंभीरता और उसके निहितार्थों के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी। प्रथम– बाजार प्रबंधन यानी भावी फसल की बिक्री और खरीदार की सहमति। द्‌वितीय– संसाधनों का प्रबंधन यानी विपणन व्यवस्थाओं के साथ संयोजन में यदा-कदा भूमि की तैयारियों और तकनीकी सलाह सहित चुनिंदा निवेश की आपूर्ति के लिए खरीदार की सहमति। तृतीय– विशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत उत्पादन, निवेश, निराई-गुड़ाई और विशिष्ट बुआई के सुझाए गए तरीकों का पालन करने के बारे में उत्पादक की सहमति। ये उपाय प्रभावी प्रबंधन से अनुबंधित खेती के विकास का माध्यम बन सकते हैं और प्रायोजकों एवं कृषकों दोनों के लिए लाभदायक तकनीकों-कौशलों के हस्तांतरण का तरीका साबित हो सकते हैं। अनुबंधित खेती का प्रयोग न केवल पेड़ लगाने और अन्य नकदी फसलों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि सब्जियों और परंपरागत फसलों, डेयरी उत्पादों में भी इसका प्रयोग दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। मूल्य व्यवस्था जोखिम एवं अनिश्चितता को कम कर सकती है। ठेका खेती से संबंधित जोखिम किसानों को नई फसलों के विविधीकरण के अवसर देते हैं जो कंपनियों द्‌वारा प्रदान की गई विपणन सुविधाओं के बगैर संभव नहीं था। हालाँकि नई फसल की बुआई से इन लाभों के निष्फल होने की संभावना भी है। कंपनी अपने वायदों से पीछे हट सकती है एवं यदि समस्या बढ़ी तो किसानों की ऋणग्रस्तता का भी खतरा है।

अनुबंधित खेती से किसानों को लाभ

अनुबंधित खेती से किसानों को बहुत अधिक फायदा होता है। प्रायोजक किसानों को उपज के विपणन, मूल्य, जोखिम से मुक्त ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। किसानों को उत्तम कोटि के बीज, खाद एवं तकनीकी जानकारी प्रायोजकों द्वारा प्रदान की जाती है। किसान का मुख्य काम फसल का उत्पादन करने तक सीमित है। उसकी उपज का विपणन एवं मूल्य का निर्धारण पहले से ही ठेका खेती के अंतर्गत तय रहता है। किसान पूर्णतया चिंतामुक्त रहता है। यह किसानों को नए बाजार का अवसर प्रदान करती है जो सामान्यतया लघु किसानों की पहुँच से दूर रहते हैं।

प्रायोजक को लाभ

प्रायोजक को उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु कम मूल्य पर प्राप्त हो जाती है। वह फसल का उत्पादन करने की कठिनाई से बच जाता है।

सफल अनुबंधित खेती के लिए आवश्यक शर्तें

1. नियोजित उत्पादन हेतु प्रायोजक एवं कृषकों को बाजार की पहचान होनी चाहिए।
2. किसानों को खेती के लिए भूमि की उपलब्धता और काश्तकारी ठेके में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।
3. अनुबंध के तहत किसानों के दायित्वों के साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण और व्यवहार में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। प्रबंधकों को स्थानीय व्यवहारों की पूर्ण समझ विकसित करनी चाहिए।

अनुबंधित खेती के उद्देश्य

अनुबंधित खेती का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता में स्थिरता एवं निरंतर आपूर्ति की क्षमता का विकास करना है। साथ ही कच्चे

माल के उत्पाद की लागत स्थिर रखना एवं उत्पादन बढ़ाकर उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करना है।

भारत में अनुबंधित खेती की शुरुआत

निजी क्षेत्र की कृषि से जुड़ी फ्रेस–ओ–वेज नामक संस्था के अंतर्गत पंजाब राज्य के ग्राम दतोदा, सिमरोल, तिल्लौर और मरवर के आसपास के क्षेत्रों में अनुबंधित खेती का एक कार्यक्रम सन् 2000 से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आलू की फसल लगभग 400 एकड़ क्षेत्र में बोई गई। इस प्रकार कृषकों को उन्नत एव प्रमाणित बीज और उर्वरक प्रदान किए गए तथा फ्रेस–ओ–वेज के वैज्ञानिकों के द्वारा खेत का भ्रमण करके उचित मार्गदर्शन दिया गया। फसल बोने के पूर्व मिट्टी का परीक्षण किया गया और प्राप्त परिणामों के आधार पर उर्वरकों के प्रयोग की अनुशंसा की गई, जिसके परिणाम आशातीत पाए गए तथा इससे कृषकों को काफी लाभ हुआ।

पंजाब के पटियाला, गुरदासपुर और अमृतसर के करीब 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र पर बासमती धान की अनुबंधित खेती 2,700 किसान कर रहे हैं और अगले वर्षों में और अधिक किसानों के इससे जुड़ने की संभावना है। कई बहुराष्ट्रीय कृषि कंपनियाँ इस खेती से जुड़ रही हैं। मध्य प्रदेश एवं मध्य भारत में आलू एवं अन्य फसलों तथा दक्षिण भारत में फलों एवं मसालेदार फसलों व अन्य फसलों में अनुबंधित खेती विशेष रूप से प्रयुक्त हो रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल एवं मेरठ मंडल में भी आलू प्रसंस्करण से जुड़ी राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ प्रसंस्करण हेतु अनुबंधित खेती के जरिए उत्पादकों से अच्छी गुणवत्तापूर्ण आलू की पैदावार करवा रही हैं। अनुबंधित खेती के निर्धारण व क्रियान्वयन के लिए कुछ प्रमुख बातों पर विशेष ध्यान रखना

चाहिए। उनमें दायित्व एवं कर्तव्य का निर्धारण, विवाद होने पर पंच की नियुक्ति, बैंकों से प्राप्त वित्तीय सहायता के नियमों में संशोधन और नियम पालन कराने हेतु अधिकारी की नियुक्ति शामिल हैं। अनुबंधित खेती में कुछ कठिनाइयाँ हैं, जैसे खरीदार द्वारा कम कीमत देना, किसानों को उचित लाभ न मिलना, फसल खराब होने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण न होना। इन समस्याओं का निराकरण जरूरी है, जिससे कि ठेका खेती का स्वरूप भारत में सफलतापूर्वक फलीभूत हो।

ठेका खेती में सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ठेका खेती के लिए सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वर्तमान कानून में संशोधन किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर नया कानून बनाया जाए, जिससे किसानों एवं प्रायोजक कंपनियों के हितों को संरक्षित किया जा सके। सरकार को नियामक की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। अनुबंधित खेती के विकास में योगदान हेतु सरकार को कृषि व्यापार और किसानों को साथ लाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि ठेका खेती का स्वरूप भारत में विकसित हो सके। इसके विकसित होने की भारत में अपार संभावनाएँ हैं। वैश्वीकरण के युग में ठेका खेती भारतीय किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक ह।

▼▼▼

वैदिक साहित्य में कर्मवाद

डॉ. एन. के. सेठी

मनुष्य की उन्नति में उसके अन्यान्य गुणों के अतिरिक्त उसकी कर्मशीलता का प्रमुख भाग रहता है। यह सारा विश्व ब्रह्मांड कर्म का एक विराट प्रतिबिंब मात्र है। मीमांसकों के मत में कर्म ईश्वर है। श्री कृष्ण ने कर्म की गति को गहन कहा है। *श्रीमद्भगवद्गीता* में वे कहते हैं–

गहना कर्मणो गतिः।

हमारा उद्देश्य गीता के 'कर्मवाद' को बताना नहीं है बल्कि वैदिक साहित्य में कर्म को कितना महत्व दिया गया है इसकी विवेचना करना है। कर्म की गति अत्यंत गहन है, कर्म के द्वारा ही हम बंधनों में पड़ते हैं तथा कर्म से ही मुक्त होते हैं। अतः कर्म बंधन भी है और मुक्ति भी। एक ही वस्तु में दो भिन्न गुणों का कारण उसके उपयोग का भेद है। गीता में इसे 'कर्मयोग' कहा गया है। 'कर्मयोग' में दो शब्द हैं। 'कर्म' और 'योग'। पं. मोहन लाल महतो वियोगी के शब्दों में[1] योग शब्द का अर्थ ही जोड़ना होता है। बुद्धि से कर्म का योग ही 'कर्मयोग' है तथा 'कर्मयोगी'

1. *आर्य जीवन दर्शन,* लेखक–पं. मोहनलाल महतो वियोगी, प्रकाशक–बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी।

बन कर अपना तथा दूसरों का विकास करना परम पुरुषार्थ माना गया है। ऋषियों ने अच्छी तरह विचार कर लेने के बाद ही 'कर्म' की महिमा का बखान किया है तथा कर्म के साथ बुद्धि को भली–भाँति लगा दिया है।''

जीवन में कर्म का अत्यधिक महत्व है। बिना कर्म के तो सृष्टि रचयिता ब्रह्मा भी सृष्टि की रचना नहीं कर सकता है। कर्म के महत्व को बताता हुआ *ऐतरेय ब्राह्मण* का निम्न गीत दृष्टव्य है–

नानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित शुश्रुम।
पापो नृषद् वरो जन इन्द्र इच्चरतः सखा।।
पुष्पिण्यो चरतो जङ्घे भूष्णुरात्मा फलग्रहिः।
शेरेऽस्य सर्वे पाप्मान श्रमेण प्रपथे हताः।।
उपास्ते भग आसीनस्योर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः।
शेते निपद्यमानस्य चराति चरतोभगः।।
कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः।
उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृत संपद्यते चरन्।।
चरन्वै मधु विन्दति चरन्स्वादुम्बरम्
सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं योन तन्द्रयते चरन्।।[2]

अर्थात उसको श्री की प्राप्ति नहीं होती जो श्रम से श्रांत नहीं होता। जो मनुष्य बैठा रहता है, वह निकम्मा समझा जाता है। इंद्र तो उसी की सहायता करता है जो श्रमशील है, उद्योगी है। उनकी श्रमशील जाँघें स्फूर्ति के फूलों से पुष्पित रहती हैं तथा उनके सुपुष्ट शरीर में स्वास्थ्य का फल लगता है। उनके सारे पाप इस तरह निश्चेष्ट पड़े रहते हैं मानों श्रम ने उन्हें मार डाला हो। श्रम करते रहो।

जो बैठा रहता है उसका सौभाग्य बैठा रहता है। जब वह

2. *एतरेय ब्राह्मण* 7 / 15

2857 HRD/11—2A

खड़ा होता है तो सौभाग्य भी खड़ा हो जाता है। पड़े रहने वाले का सौभाग्य भी पड़ा रहता है। निद्रा से जगने वाला द्वापर, उठकर खड़े हो जाने वाला त्रेता तथा श्रम करने वाला कृत युग बन जाता है। अतः कर्म करते रहो। श्रमवान व्यक्ति ही जीवन मधु का पान करता है। वही स्वादिष्ट फल का स्वाद चखता है। सूर्य के श्रम को देखो जो कभी आलस्य नहीं करता।

एतरेय ब्राह्मण का यह गीत कर्म का अत्यंत सुंदर उपदेश देता है। *ऋग्वेद* में कर्म का महत्व बताया गया है–

यादृश्मिन् धायि तम्तपस्यया विदत्।[3]

अर्थात् मनुष्य जिस किसी लक्ष्य में मन लगाता है उसे श्रम से प्राप्त कर लेता है।

कर्म का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रहता है। वह श्वास लेता है, वह भी एक कर्म है। चलता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है आदि सभी कर्म के अंतर्गत गिने जाएंगे। *गीता* में श्री कृष्ण ने कहा है–

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः।।[4]

अर्थात निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए हुए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है।

वैदिक ऋषियों ने भी यजुर्वेदादि वैदिक वाङ्मय में सभी को सौ वर्ष तक जिजिविषा का आदेश दिया है–

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः।
एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरैः।।[5]

3. *ऋग्वेद* 5 / 44 / 8
4. *श्रीमद्भगवद्गीता* – 3 / 5
5. *इशावास्योपनिषद्* – 2 / 2

2857 HRD/11—2B

अर्थात इस लोक में कर्म करता हुआ ही सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करता रहे। तुम्हारे इस प्रकार आचरण करने पर इस मार्ग से भिन्न या श्रेयस्कर अर्थात उत्तम मार्ग नहीं है और मनुष्य में उसके द्वारा उपर्युक्त विधि से किए गए कर्म लिप्त नहीं होते हैं।

कर्मशील मनुष्य को जिस कर्म में लगा दिया जाए तो वह उसे पूरा करके ही दम लेता है। *ऐतरेयोपनिषद्* में कहा गया है–

'वहति हं वै बहिर्धुरो यासु युज्यते'।[6]

वैदिक साहित्य में भूत व भविष्य के कर्मों पर विचार नहीं किया गया है। वर्तमान काल के कर्मों पर जोर दिया गया है–

न श्वः श्वयुपासीत। को हि मनुष्यस्य श्वो वेद।।[7]

अर्थात जो करना हो वह कर लेना चाहिए। मनुष्य के कल को कौन जानता है। कारण स्पष्ट है जो हो चुका वह निश्चित है, जो होने वाला है वह अनिश्चित है।

अद्धाहि तद् यदद्य। अनद्धा हि तद यच्छवः।।[8]

अर्थात् जो आज है, वह निश्चित है और जो कल होगा वह अनिश्चित है।

शतपथ ब्राह्मण के इन मंत्रों से यह ज्ञात होता है कि वैदिक साहित्य में कर्म को अत्यंत महत्व प्रदान किया गया है। भूतकाल व भविष्य काल को देखे बिना कर्म करने पर जोर दिया गया है। शरीर ही कर्म का साधन है। शरीर पर ही कर्म आधारित है। वेदों ने कर्म से विमुख होकर रहना नहीं सिखाया क्योंकि कर्म से विमुख होकर भाग्य भरोसे बैठे रहना पौरुषहीन व्यक्तियों का कार्य है। सृष्टि को नाशवान मानते हुए भी वेदों में कर्मों को

6. *ऐतरेय ब्राह्मण* – 6/18
7. *शतपथ ब्राह्मण* – 2/1/3/9
8. *शतपथ ब्राह्मण* – 2/3/1/28

महत्व प्रदान किया गया है। वैदिक आर्यों ने कर्म करते हुए भूमि को भी तपोभूमि बना दिया, नदियों को मोक्षदायिनी बना दी, पशुपक्षियों को भी घर का सदस्य मानकर उन्हें प्यार दिया। पृथ्वी को भी माता का रूप प्रदान किया। उन्होंने सब अशुभता को शुभता में बदल दिया। यह वेदों का कर्मवाद ही है जिसमें सृष्टि रचना की असीम शक्ति है। इस दृष्टि से *मुण्डकोपनिषद्* का निम्न मंत्र दृष्टव्य है–

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते।
अन्नात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्।।[9]

अर्थात ब्रह्मा तप से रचना करता है और उसमें अन्न होता है। अन्न से प्राण, मन, सत्य और लोक है। कर्म में अमृत (मोक्ष) है।

वैदिक कर्मवाद रसहीन नहीं था बल्कि उसमें सत्य, शिव व सुंदर की अभिव्यक्ति भी की गई है। वैदिक कर्मों को करता हुआ मानव सत्य, शिव व सौंदर्य से भर जाता है। *ऋग्वेद* के उषस् सूक्त में हमें सौंदर्य के भरपूर दर्शन होते हैं, वैदिक ऋषियों ने संपूर्ण वातावरण तथा बाह्य व आंतरिक जगत को सौंदर्य से भरकर पृथ्वी को ही स्वर्ग बना डाला। उन्होंने कर्म को सुंदर बनाकर आनंद का स्रोत बना दिया था। वेदों का सौंदर्य प्रेरणा प्रदान करने वाला था, स्फूर्ति से युक्त था तथा आत्मा को स्पंदित करने वाला था। तभी तो वैदिक आर्य बिना थके और बिना पीछे हटे, बिना निराश हुए कर्म करते रहे तथा धरती को ही स्वर्ग बनाने की कल्पना की ताकि स्वर्ग की कमी धरती ही पूरी कर दे। इस कर्म में वैदिक आर्य लगे रहे। *अथर्ववेद* में कहा है–

9. *मुण्डकोपनिषद्* – 1/1/8

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः।।[10]

अर्थात मेरे दायें हाथ में पुरुषार्थ है तो बायें हाथ में सफलता रखी हुई है।

कर्म और ज्ञान, ज्ञान और कर्म का योग वैदिक आर्यों के जीवन में देखा जाता है। कर्मशील वैदिक आर्य इस प्रयास में लगे देखे जाते हैं कि उनका सर्वतोमुखी विकास कैसे हो। सबको साथ लेकर, समूह बनाकर वे सदा कर्म में प्रबल रहे और शांतिपूर्ण जीवन को धीरे-धीरे सुखमय बनाने का प्रयास करना उन्होंने जीवन का व्रत मान लिया। वेदों में दरिद्रता पर प्रहार किया गया है–

अरायि काणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्वे।
शिरिं बिठस्य सत्वभिस्तेभिष्ट्वा चातयामसि।।[11]

अर्थात हे धनहीन विरूप, कुरूप, सदा आक्रोश करने वाली दरिद्रता तू निर्जन पर्वत पर जा। यहाँ हम दृढ़ अंतःकरण वाले मनुष्यों के पुरुषार्थ से तेरा नाश करेंगे।

वैदिक साहित्य में दरिद्रता की अपेक्षा नहीं की गई, उसे पनपने का अवसर नहीं दिया गया है। यह कर्मवाद का प्रधान गुण है। *ऋग्वेद* के क्षेत्रपति सूक्त के 8 मंत्रों में वैदिक कर्मवाद पर प्रकाश डाला गया है।

क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि।
गामश्वं पोषयित्वा स नो मृलातिदृशे।।
क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्मि धेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्व।
मधुश्चुतं घृतमिव सुपूतमृतस्य न पतयोः गृह्यन्तु।।
मधुमतीरोषधीर्द्याव आपो मधुमन्नो भवत्वंतरिक्षम्।

---

10. *अथर्ववेद* – 7/52/8
11. *ऋग्वेद* – 10/155/1

क्षेत्रस्य पतिर्मधुमान्नों अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम।।
शुनं वाहाः शुनः नरः शुनं कृषतु लांगलम्।
शुनं वरत्रा वध्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिङ्गयः।।
अर्वाचीसुभगे भवसीते वन्दामहे त्वा।
यथानः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि।।
शुनं नः फाला वि कृषन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अभियन्तु वाहैः।
शुनं पर्जन्यो मधुना पयोभिः शुनाशीरा शुनमरमासुधत्तम्।।[12]

अर्थात हम बंधु के समान हितैषी क्षेत्रपति देव के साथ क्षेत्र को जीतेंगे। वह क्षेत्रपति हमारी गायों और घोड़ों को पुष्ट करें। वे हमको देने योग्य धन देकर हमारा कल्याण करें। हे क्षेत्रपति! गाय के समान मीठा शुद्ध और सुस्वादु जल हमें प्रदान करें। उत्तम औषधियाँ, अंतरिक्षलोक, जल और नदियाँ हमारे अनुकूल हों, जिससे क्षेत्रपति हमें तृप्त कर सकें। बैल, मजदूर, हल के फाल सभी सुखदायक हों। हे सौभाग्यवति फाल, तुम नीचे की ओर चलने वाली हो। तुम हमारे लिए उत्तम फल प्रदान करने वाली हो, सौभाग्य प्रदान करने वाली हो, हम तुम्हारी अभ्यर्थना करते हैं। सुख देने वाला फाल जमीन खोदे, हमारे जोतने वाले सुख प्राप्त करें। वर्षा उत्तम जल से तृप्त कर दे तथा खेती हम लोगों में सुख धारण करे।

वेदों में आलस्य को पाप माना गया है। सभी के लिए अपनी अपनी योग्यता अनुसार कर्म करना आवश्यक माना गया है। सभी कर्मों को श्रेष्ठ माना गया है। *यजुर्वेद* में रथकार, कुम्हार, बढ़ई, निषाद आदि सभी प्रकार के कर्म करने वालों के सत्कार की बात कही गई है।[13]

---

12. *ऋग्वेद* – क्षेत्रपतिसूक्त – 4/57
13. *यजुर्वेद* – 16/17

वैदिक कर्मवाद उन्नतिमूलक था। उसमें सभी के लिए सब कर्म करें, यह उच्च भावना समाहित थी।

वैदिक ऋषियों ने ज्ञान व कर्म का संयोग बैठाया। मानव कर्म के परिणामस्वरूप ऐश्वर्य प्राप्त कर भोग में लीन हो जाता है जिससे वह गलत आचरण करने लग जाता है तथा कुकर्मों का शिकार बनकर सत्य से दूर चला जाता है। वैदिक ऋषि इस परिणाम को जानते थे। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस संसार में जो कुछ भी पदार्थजात है वह सब कुछ परमात्मा में व्याप्त है। अतः लोभ मत करो तथा ईश्वरार्पित बुद्धि से कर्म में लगे रहो–

ईशावास्य मिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।।[14]

ज्ञानपूर्वक किए गए कर्म ऊपर उठाते हैं तथा अज्ञानपूर्वक किए गए कर्म पतन की ओर ले जाते हैं। जो कर्म सबका कल्याण करे वही श्रेष्ठ है। *ऋग्वेद* में कहा गया है–

ऋतस्य पन्थो नतरन्ति दुष्कृतः।।[15]

अर्थात अज्ञानतापूर्वक कर्म करने वाला सत्य के मार्ग को पार नहीं कर सकता है।

अज्ञानतापूर्वक अर्थात सही या गलत को जाने बिना कर्म करना बुरा कहा जाता है। बुरे कर्म के परिणाम भी बुरे होते हैं। इसलिए वेदों में बार–बार कहा गया है कि ज्ञानपूर्वक यज्ञ करो गलत कर्म मत करो। ये पतन की ओर ले जाते हैं। कर्म शब्द में आध्यात्मिक मुक्ति तथा भौतिक सिद्धि दोनों का संयोग है। कर्म में ईश्वर, जगत् तथा आत्मा का समावेश है। वैदिक ऋषियों ने कर्म के द्वारा सबको जोड़कर जीवन को संपूर्ण व सुखमय बनाया।

---

14. *ईशावास्योपनिषद्* – 1
15. *ऋग्वेद* – 9/73/6

वेदों में कर्म को श्रेष्ठ व महत्वपूर्ण माना गया है वैदिक ऋषियों ने कर्म पर पूर्ण श्रद्धा रखी है। वैदिक ऋषियों की कर्ममय चेतना प्रखर थी। वे कर्म के असली स्वरूप व उसके महत्व को जानते थे। वे पूर्णतः कर्मवादी थे, कोरे आदर्शवादी नहीं थे। कर्म तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका कर्ता आंतरिक व बाह्य रूप से पवित्र है। अपवित्र विचार से किया गया कर्म मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए वेद का वचन है कि कर्म करता हुआ मानव संसार में सौ साल तक जीवित रहने की इच्छा करे। दरिद्रता, आलस्य, पाप और पराजय का वेदों ने विरोध किया है। इन पर कर्म के द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है। वेदों में कर्म को भगवान माना गया तथा मानवमात्र के कल्याण की कामना से कर्म करने का उपदेश दिया गया।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वेद कर्मवाद का पूर्णतया समर्थन करते हैं। वैदिक संस्कृति कर्ममय है। यह कर्म को प्रधानता देने वाली है। वैदिक साहित्य में कर्मवाद का जगह–जगह समर्थन किया गया है। वैदिक साहित्य में ज्ञान व कर्म का संयोग किया गया है। कर्म में सत्य, शिव व सुंदरता का समावेश किया गया है। वैदिक ऋषि **चरैवेति चरैवेति** का उद्घोष करते हैं। वैदिक ऋषियों ने कर्म विमुख होकर रहना पसंद नहीं किया, क्योंकि कर्म विमुख होकर बहुत बड़े लाभ की कल्पना में बैठे रहना, वे बुद्धि–पौरुषहीन व्यक्तियों का घृणित बहाना मानते थे। वेद कर्म में सबका कल्याण देखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैदिक कर्मवाद का सिद्धांत आज भी उतना ही उपादेय व महत्वपूर्ण है जितना अपने प्रतिपादन काल में था।

▼▼▼

गढ़वाली क्रियाएँ और उनका शब्दकोशीय स्वरूप

डॉ. अचलानंद जखमोला

जापानी, चीनी और तिब्बती परिवार की, चित्रात्मक शैली पर आधारित, एकाक्षरी भाषाओं में व्याकरण और क्रिया का अभाव है, परंतु भारोपीय भाषाओं, विशेषतः संस्कृत से प्रसूत और प्रभावित भाषाओं की वाक्य रचना में क्रिया की विशेष भूमिका रहती है। गढ़वाली भाषा की आधारशिला भी संस्कृत ही है। क्रिया की महत्ता को समझते हुए संस्कृत आचार्यों ने इस विषय को विस्तार से विवेचित किया। अतः इस प्रकरण पर उनके मत प्रासंगिक होंगे।

महावैयाकरण भर्तृहरि के *वाक्यपदीय* का निम्न श्लोक द्रष्टव्य है –

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।।

इस वचन के अनुसार शब्दतत्व परब्रह्म से अभिन्न तथा शाश्वत है। वह अर्थ के रूप में विविध प्रकार से परिवर्तित होकर इस अनंत विश्व के व्यवहार का संचालन करता है। वास्तव में सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य इस शब्द के माध्यम से ही

परस्पर संपृक्त रहता है तथा परस्पर भावों का आदान–प्रदान करता है। प्रत्यक्ष में ध्वनि रूप में जिसे हम वाणी कहते हैं और परोक्षतः लिखित रूप में, जिसे लिपि नाम से पुकारते हैं, शब्द व्यवहार का साधन बनता है।

भाषाशास्त्रियों ने शब्द को वर्ण, पद और वाक्य इन तीन श्रेणियों में विभक्त किया है। कुछ अपवादों को छोड़कर अकेला वर्ण कोई अर्थ प्रकट नहीं करता। अतः अर्थबोध के प्रयोजन से एक से अधिक वर्णों का संयोग किया जाता है, जिसे पद कहते हैं। विभिन्न कारकों से संबद्ध होकर परस्पर वे अन्वित पद वाक्य रूप में परिणत होते हैं। निरूक्तकार यास्क ने वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों या पदों को नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इन चार श्रेणियों में विभाजित किया है। इनमें नाम और आख्यात प्रमुख हैं। व्याकरण के अनुसार शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। तब उसका कर्ता, कर्म आदि कारकों के रूप में अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित होता है। पाणिनि ने पद को दो श्रेणियों में विभक्त किया– सुबन्त और तिड़ंत (सुप्तिङंत पदम्)। सुबंत से तात्पर्य है वे शब्द जो कारकों के बोधक प्रत्ययों या परसर्गों से जुड़े हों। ये सुबंत ही यास्क के 'नाम' हैं जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के रूप में प्रयोग में आते हैं। उनके अनुसार ये सत्व या द्रव्य हैं।

तिड़ंत से आशय है क्रिया। जब हम किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसमें प्रधान रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, काल आदि में किसी घटना, विकृति आदि की चर्चा होती है। इन्हीं को वैयाकरणों ने उद्देश्य और विधेय के रूप में परिभाषित किया है। इनमें उद्देश्य प्रधान है जिसके विषय में कुछ कहना होता है। विधेय घटना या व्यापार है जो उद्देश्य से संबद्ध हो।

आख्यात का स्वरूप बृहद्देवताकार ने इस रूप में बताया है–

क्रियासु बहवीष्वभिसंश्रितोयः पूर्वापरीभूत इवैक एव।
क्रियाभिर्विवृत्तिवशेन सिद्ध आख्यात शब्देन तमर्थमाहुः।।

इसका भाव यह है कि जब एक ही कार्य अनेक चेष्टाओं पर निर्भर होने से अनेक सा लगता है, उन चेष्टाओं के पूर्ण होने पर स्वयं भी पूर्ण हो जाए और बंद हो जाए, उस व्यापार या चेष्टा को 'आख्यात' कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि फलाँ व्यक्ति खाना बना रहा है। इस वाक्य से चूल्हा जलाने से लेकर आग बुझाने तक पकाने वाला जो भी चेष्टा करता है, वे सब सूचित होती हैं। परंतु जब हम कहते हैं– 'खाना बन गया' तो इसका अर्थ हुआ कि पाचक जो चेष्टा कर रहा था, वे सब बंद हो गईं। इसका सार इस प्रकार है– क्रिया के दो रूप होते हैं– एक साध्य दूसरा सिद्ध। खाना बनाना, यह वाक्यांश साध्यावस्था को जो ऊपर 'आख्यात' नाम से कही गई है, बोधित कराता है। जब तक वह तैयार नहीं हुआ, उसका कोई रूप स्पष्ट नहीं है। रसोइया अपने काम में लगा है। यह खाने या भोज्य पदार्थ की साध्यावस्था है। जब कहते हैं– खाना बन गया, खाना खाइए। अब हम दाल, रोटी, चावल आदि भोज्य पदार्थ की शक्ल भी देखते हैं और उसका उपयोग करने में समर्थ हो जाते हैं। यह उसकी सिद्ध अवस्था है। यह अब क्रिया की श्रेणी से निकल कर संज्ञा बन जाती है या मूर्त रूप धारण कर लेती है। अब उसके साथ काल, पुरुष और वचन भी नहीं रहता। भर्तृहरि ने इसके संबंध में लिखा है–

सत्त्वस्वभावमापन्ना व्यक्ति र्नामभिरुच्यते।
जातव्य भूतो भावश्च तिङ् पदैरभिधीयते।।

लुप्त कर सिद्ध धातुओं में परिणत हो गए, जैसे छादयति > छौंण (छाना), तापयति > तापुण (गरम करना), पूरयति > पुरणौय (पूरा करना), लिपयति > लिपण (लीपना), प्रसारयति > पसारण पसरण (फैलना)।

तीसरे वर्ग में वे अधिसंख्य गढ़वाली क्रियाएँ हैं जो पालि, प्राकृत और अपभ्रंश से आगे बढ़ती हुई अंततः हिंदी के द्वार से प्रविष्ट हुई। इस लंबी अवधि और प्रक्रिया में कई उच्चारणगत और रूपगत परिवर्तन आते रहे। क्रिया रूपों की प्रवृत्ति सरलता की ओर अधिक हुई और काल रचना में कृदंत और सहायक क्रियाओं के तद्भव रूपों में समन्वय की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। स्रोत की दृष्टि से गढ़वाली क्रियाओं का सर्वाधिक भाग मूलतः संस्कृत-हिंदी पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि डॉ. रुडोल्फ हार्नले वाराणसी में अध्यापक थे। कालांतर में उन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला। उन्होंने सन् 1880 में बड़े परिश्रम से पहली बार 400 हिंदी क्रियाओं का संकलन किया। स्पष्टतः इन क्रियाओं का मूल संस्कृत था। निम्न सारिणी में संस्कृत के 'अन' (ल्युट्) प्रत्ययांत क्रियावाचक शब्दों तथा हिंदी और गढ़वाली भाषाओं के कुछ समान अर्थ वाले तुमर्थक (infinitive) क्रिया रूप अंकित हैं :–

संस्कृत	हिंदी	गढ़वाली
करणम्	करना	करण
दर्शनम्	देखना	द्यखण
पानम्	पीना	पीण
लेखनम्	लिखना	ल्यखण
चलनम्	चलना	चलण
पालनम्	पालना	पलण
पिंसनम्	पीसना	पिसण

द्रष्टव्य है कि संस्कृत धातु रूपों का अंतिम 'नम्' हिंदी में 'ना' और गढ़वाली में 'ण' बन गया। गढ़वाली में संस्कृत, अपभ्रंश, हिंदी के अतिरिक्त असंख्य धातुएँ तद्भव, अन्य भाषाओं से आगत तथा पूर्व उल्लिखित देशज या स्थानिक भी हैं। इसी क्रम में गढ़वाली की कुछ क्रियाओं के वाक्यों में प्रयोग पर भी ध्यान अपेक्षित है :–

करना : काम करण बदनऽ खुण ठीक रांद (काम करना शरीर के लिए ठीक रहता है)।

खाना, धोना : खाण से पैलि हात धौंण चैंदन (खाना खाने से पूर्व हाथ धोने चाहिए)।

पीना : पीण खुण पाणि लौ दैं (पीने के लिए पानी ला तो)।

जाना : मिल अब कख जाण (मुझे अब कहाँ जाना है)।

हिटना, चलना : मितैं हिटण अर चलण माँ तकलीप हूँद (मुझे पैदल चलने में कष्ट होता है)।

सुनना : यन सुणण मा आय् कि वख बाग लग्यूँ च (ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ बाग लगा है)।

बोलना : इ नौनु त अब ब्वलण बैठि ग्ये (यह बच्चा तो अब बोलने लगा है)।

उल्लेख्य है कि अन्य धातुओं की भाँति गढ़वाली धातुओं को भी मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है– सिद्ध और साध्य। सिद्ध धातुओं के उदाहरण हैं– करण, चलण, लिखण, बाँचण, लिपण, कुदण, जपण, हँसण आदि। साध्य व प्रेरणार्थक धातुओं के क्रिया वाले भाववाचक शब्दों में वह अंश नहीं जुड़ा होता जो उसे साध्यावस्था की ओर ले जाए। खांण, हिटण, पढ़ण, सुणण आदि प्रयोग शुद्ध व्यापार का बोध कराते हैं। इनमें 'खा', 'हिट', 'पढ़', 'सुण', अंश केवल खाने, चलने, पढ़ने या सुनने आदि अंश कार्य व्यापारों से अवगत कराते हैं। इनसे लिंग काल, पुरुष, वचन आदि विशेष अवस्था ज्ञात नहीं होती।

वर्तमान में गढ़वाली भाषा की अधिकांश क्रियाएँ अकारांत, उकारांत, अथवा ओकारांत हैं। ध्यातव्य है कि उत्तराखंड की दूसरी प्रमुख भाषा– कुमाउँनी में क्रियाएँ अकारांत हैं। कुमाउँनी में ह्रस्व स्वरों की ओर अधिक झुकाव है, जबकि गढ़वाली प्लुतमई है। संभवतः विकास की प्रारंभिक अवस्था में गढ़वाली और कुमाउँनी दोनों भाषाओं की क्रियाएं अकारांत रूप में प्रयुक्त होती रही होंगी जो इनका नैसर्गिक स्वरूप है। उल्लेखनीय है कि डॉ. एम. पी. जोशी के अनुसार सोलहवीं शती तक गढ़वाल, कुमाउँ तथा नेपाल में एक ही राजभाषा का प्रयोग होता था। कालांतर में वे कुछ भिन्न रूप से विकसित हुईं। *नाट्यशास्त्र* के निम्न श्लोक में हिमप्रदेश, सिंधु, सौवीर आदि की भाषाओं को उकार बहुला बताया गया है–

हिमवत्सिंधु सौवीरान् येऽन्यदेशान् समाश्रिताः।
उकार बहुला तेषु नित्यं भाषा प्रयोजयेत्।।

गढ़वाली भाषा के उद्भव और विकास के संबंध में ज्ञातव्य है कि पादरी एस. एच. केलॉग, डॉ. ग्रियर्सन, डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी, डॉ. हरदेव बाहरी, डॉ. गुणानंद जुयाल प्रभृति कई विद्वानों ने गढ़वाली को राजस्थानी के निकट और उससे प्रभावित माना है। राजस्थानी में क्रियाएं 'उ' तथा 'ओ' कारांत है। डॉ. धीरेंद्र वर्मा, डॉ. भोला शंकर व्यास, डॉ. गोविंद चातक, डॉ. टी. एन. दवे आदि भाषाविद् गढ़वाली की मूल भित्ति शौरसेनी मानते हैं। शौरसेनी से ही प्रसूत ब्रजभाषा में क्रियाओं के ओकारांत रूप मिलते हैं– जैसे, देखनो, चलनो आदि। *ऊद्धव शतक में* एक पंक्ति है 'ऊधो मन नाहीं दस बीस। एक हुतो सो गयो स्याम संग को आराधे ईस'। संभव है ब्रजभाषा के इसी 'हुतो' से गढ़वाली (टिहरी प्रभाग) में 'थौ' (था) का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार कई अन्य शब्द हैं। गढ़वाली में भौगोलिक एवं ऐतिहासिक कारणों से वैभाषिक विकल्पनों

का प्रारंभ से ही आधिक्य रहा है। परिणामतः यहाँ की क्रियाओं के पदांत पता नहीं कब और कैसे अकारांत से उकारांत, ऊकारांत या ओकारांत होते गए और अब तो उसमें अराजकताजन्य कई रूप प्रचलन में दिखाई देते हैं, जैसे–

करण~करणु~करणूँ~करणों~कन्नु~कंन्नू~कन्नो (करना)

चलण~चलणु~चलणूँ~चलणों~चन्नु~चन्नूँ~चन्नों (चलना)

ब्वलण~ब्वलणु~ब्वलुणूँ~ब्वलणों~ब्वन्नु~ब्वन्नूँ~ब्वन्नों (बोलना)

उल्लेखनीय है कि उद्देश्य / कर्ता के लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुसार क्रिया के रूप बदलते रहते हैं। इनमें काल, लकार, भाव, पक्ष (पूर्ण, अपूर्ण, अस्तित्व आदि की सूचक) तथा वृत्ति का विशेष महत्व होता है, इनके अतिरिक्त वाक्यों में प्रयोग करते समय कृदंत, विभिन्न उपसर्ग, प्रत्यय आदि के योग से मुख्य क्रिया के विध्यर्थक (आदेश, निर्देश, अभिदेश, सुझाव, आशीर्वाद, निवेदन, अनुरोध, संस्तुति, स्वीकृति, आज्ञा, अनुमति) तथा संयोज्य (शक्यता, सामर्थ्य की विवक्षा) एवं प्रेरणार्थक, संज्ञार्थक आदि विविध रूप बनते हैं। इस प्रकार एक ही क्रिया के पाँच सौ से भी अधिक रूप बताए जाते हैं। इनमें से कोश में मुख्य प्रविष्टि के लिए कौन सा रूप चुना जाए, यह विचारणीय है। विशुद्ध कोशीय दृष्टि से कोशों में क्रिया के सामान्य वर्तमान काल, प्रथम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन में उस रूप को मुख्य प्रविष्टि मिलनी चाहिए जिसका अर्थ 'ता है' में निष्पादित हो, जैसे अंग्रेजी के I eat, I drink (मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ) में। वस्तुतः हिंदी रूप खाना, पीना, बैठना भाववाचक संज्ञा-रूप हैं। गढ़वाली के 'खाणु'~'खाणू'~'खाणो'; 'पीणु'~'पीणू'~'पीणो'; 'उठाणु'~'उठाणू'~'उठाणो'; 'बैठणु'~ 'बैठुणू'~ 'बैठणों'; आदि रूप 'रहा है' अर्थ के द्योतक हैं। जैसे–'मि जाणु छौं (मैं जा रहा हूँ); 'तु गंदु पाणि किलै छैं पीणुँ' (तू गंदा पानी क्यों

2857 HRD/11—3A

पी रहा है); 'स्यू क्य खाणो च' (वह क्या खा रहा है), मि पिछल तीन साल बिटिन कोश बणाणुँ छौ (मैं पिछले तीन वर्षों से कोश बना रहा हूँ) आदि। वाक्यांशों में क्रियापदांत 'उ'; 'ऊ' अथवा 'ओ' होने से क्रिया का 'अपूर्ण भाव' या 'सतत् प्रवहमान' स्थिति की सूचना मिलती है, सामान्य वर्तमान की नहीं। यह कार्य-प्रक्रिया या व्यापार मालूम नहीं कब से चल रहा था, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। व्याकरणिक दृष्टि से यह सातत्यबोधक काल (present continuous tense) अथवा क्रियावाचक संज्ञा (gerund) है, कोशीय इकाई के रूप में मान्य तुमर्थक क्रिया नहीं। पीछे वृहद्देवताकार का मत उद्धृत है जिसके अनुसार अपने आप में पूर्ण भाव होना क्रिया का मुख्य लक्षण बताया गया है। अतः अपूर्णता का भाव देने वाले रूप को क्रिया का मानक या स्थायी मानकर उसे कोश में मुख्य प्रविष्टि देना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। अन्य विकल्पों में उनको समाविष्ट किया जा सकता है।

इस प्रकरण पर लंबे समय से चिंतन और मंथन किया जा रहा था। राष्ट्रीय स्तर की तथा आंचलिक पत्र-पत्रिकाओं में लेखों द्वारा मान्य विद्वानों एवं पाठकों के विचार जानने के भी प्रयास किए गए। लेखक ने गढ़वाली भाषा के मर्मज्ञ और सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं कोशकला से पूर्णतः परिचित दिवंगत डॉ. गोविंद चातक एवं व्याकरणविद् स्व. डॉ. ललित मोहन बहुगुणा से भी परामर्श और पत्राचार किया। यद्यपि डॉ. चातक ने अपनी पुस्तक *मध्य हिमालयी भाषा* में गढ़वाली क्रियाओं को 'ऊ' रूप से अंकित किया है परंतु विमर्श के पश्चात् वे अकारांत के पक्ष में हो गए थे। डॉ. बहुगुणा ने 'अ', 'उ' या 'ऊ' की अपेक्षा 'ओ'कारांत स्वरूप को उचित माना। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और पर्वतीय भाषाओं के मर्मज्ञ व्याकरणविद् और प्रख्यात् विद्वान प्रो. डी. डी. शर्मा का मत है कि

2857 HRD/11—3B

गढ़वाली क्रिया पदों के मूल धातु रूपों, यथा 'चल', 'जा', 'धर्', 'ब्बल्' आदि की प्रविष्टियों को देना ही शिवप्रसाद भारद्वाज अकारांत रूप को उपयुक्त मानते हैं, परंतु साथ ही अन्य वैकल्पिक रूपों के अंकन की सलाह भी देते हैं।

प्रस्तुत लेख में वर्णित सभी मतों, धारणाओं तथा भाषाशास्त्रियों की मान्यताओं एवं सहयोगियों की भावनाओं तथा व्यावहारिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझा जा रहा है कि अनावश्यक विवाद और व्याकरण के अधिक पचड़े में न पड़ते हुए गढ़वाली-हिंदी-अंग्रेजी कोश में क्रियाओं के अकारांत रूप को मुख्य प्रविष्टि देकर अधि-प्रचलित अन्य उकारांत, ऊकारांत तथा ओकारांत रूपों को भी वैकल्पिक चिह्न (~) अंकित करने के बाद उच्चारण की प्रवृत्ति के अनुसार प्रविष्टियाँ दी जाएँ।

▼▼▼

संदर्भ ग्रंथ

डॉ. शिवप्रसाद भारद्वाज : संस्कृत~हिंदी~अंग्रेजी कोश
डॉ. चतुर्भुज सहाय : हिंदी क्रिया~काल, पक्ष और वृत्ति
डॉ. गोविंद चातक : मध्य हिमालयी भाषा
डॉ. रामसुरेश त्रिपाठी : संस्कृत व्याकरण दर्शन
डॉ. बदरीनाथ कपूर : नवशती हिंदी व्याकरण
डॉ. जयदत्त उप्रेती : संस्कृत कुमाउँनी हिंदी कोश
डॉ. अचलानंद जखमोला : हिंदी कोश साहित्य
डॉ. सुरेश कुमार : कोश निर्माण, सिद्धांत और परंपरा

अध्यापक शिक्षा : बदलते संदर्भ में

आर. पी. पाठक

शिक्षक-शिक्षा की चुनौतियों पर विचार करने का एक युक्ति-युक्त उपागम है, वर्तमान चुनौतियों को शिक्षक-शिक्षा के विकासात्मक संदर्भ में देखना। इस आलेख की विषय-वस्तु को निम्न दो अंशों में प्रस्तुत किया जा सकता है–

- शिक्षक–शिक्षा का विकासात्मक स्वरूप
- अतीत एवं भविष्य के संदर्भ में शिक्षक–शिक्षा की वर्तमान चुनौतियाँ

शिक्षक-शिक्षा का विकासात्मक स्वरूप

एक युग था जब अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता मात्र होना व्यक्ति के अध्यापक बनने हेतु पर्याप्त योग्यता मानी जाती थी। कुछ विषयों के अध्यापन में तो यह मान्यता अभी तक प्रचलित है। संगीत, नृत्य, कला आदि में तो अभी तक हम कोई व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्यापन-प्रणाली न तो विकसित कर पाए हैं और न इस बात की कोई आवश्यकता ही अनुभव करते हैं। इस स्थिति को हम अध्यापन का प्राथमिक काल मान सकते हैं, जबकि विषय-वस्तु के ज्ञान के अतिरिक्त अध्यापक के लिए और किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तर काल तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व के ज्ञान-क्षितिज पर वैज्ञानिक युग के अवतरण के साथ मानव-जीवन के बहुपक्षी इतिहास के कई आयामों के पन्ने विज्ञान की आयु के तेज झोंके से बड़ी तेजी से पलटे। शिक्षक-शिक्षा के इतिहास ने भी इस समय एक नया मोड़ लिया। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मनोविज्ञान ने, विज्ञान के प्रकाश में, अपने दार्शनिक-मानसिक स्वरूप को त्याग कर व्यवहार के विज्ञान का नया स्वरूप धारण किया। चूँकि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति-व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना था, अतएव ये परिवर्तन फलीभूत करने हेतु शिक्षाविदों को व्यवहार के विज्ञान की ओर देखना पड़ा। विज्ञान ही किसी विषय, वस्तु या परिस्थिति विषयक 'क्यों' और 'कैसे' प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। अतएव व्यवहार के वांछनीय मोड़ों को किस प्रकार चरितार्थ किया जाए, यह विद्या एक विज्ञान ही शिक्षाविदों को बता सकता था। फलस्वरूप व्यवहार परिवर्तन के प्रक्रम, गतीकियाँ, चरण, मूल्यांकन आदि के ज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का शिक्षा के साथ संयोग स्थापित हुआ। इस संयोग ने जन्म दिया सांशैक्षिकी (Educational Pedagogy) को। हरबर्ट के सुप्रसिद्ध अध्यापन-पदों के साथ अध्यापन-शास्त्र का सूत्रपात हुआ। इस शास्त्र में विधिवत प्रशिक्षण एक भावी अध्यापक के लिए आवश्यक समझा गया और इस प्रकार व्यवस्थित शिक्षक-प्रशिक्षण का एक नवीन विषय-क्षेत्र के रूप में प्रारंभ हुआ। संक्षेप में कह सकते हैं कि शिक्षक-शिक्षा का जन्म इस जिज्ञासा से हुआ कि छात्रों तक विषय-वस्तु का समुचित प्रेषण, किस व्यवस्था से किस प्रकार की विधाओं से तथा कौन-कौन से उपकरणों से किया जा सकता है।

मनोविज्ञान-आधारित विधाओं में निरंतर प्रगति होती गई। कई प्रकार की शिक्षण-शैलियाँ, अध्यापन-प्रारूप तथा पाठ-योजनाएँ

विकसित होती गईं। उद्देश्यानुसार, विषय वस्तु-अनुसार, विषयानुसार भाँति-भाँति के प्रयोग होने लगे।

किसी भी नवीन विकास के साथ सामान्यतः नवीन प्रश्नों का जन्म होता है, नई गुत्थियाँ उपस्थित होती हैं, नए आयाम खुलते हैं। शिक्षा-शास्त्र के अंतर्गत उपरोक्त प्रयोगों ने अध्यापन परिस्थिति के एक दूसरे महत्वपूर्ण आयाम विद्यार्थी-समूह पर भी एक नया प्रकाश डाला। एक तो देखा गया कि अध्यापन के आयाम में एकरूपता होने पर भी एक विद्यार्थी के सीखने के स्वरूप में समानता नहीं, उसके सीखने की प्रकृति, गति-मात्रा, सीखने के प्रति उपागम-अनुराग तथा स्वरूप-परिणाम में अनोखी विभिन्नता पाई गई। फलस्वरूप सीखने के प्रक्रम की ओर शिक्षाविदों का ध्यान आकर्षित हुआ। अभी तक शिक्षक-शिक्षा में केवल अध्यापन शास्त्र पर ही शिक्षा-मनोवैज्ञानिकों का ध्यान केंद्रित था। अध्यापन के मनोविज्ञान से आगे बढ़ कर अब वे सीखने के मनोविज्ञान की ओर उन्मुख हुए। मूल प्रश्न था, *"एक विद्यार्थी किस प्रकार सीखता है?"* इस प्रकार अधिगम का स्वरूप, प्रकार, घटक, नियम, सिद्धांत आदि पर अध्ययन प्रारंभ हुआ और अधिगम का मनोविज्ञान (Psycology of Learning) विकासमान मनोविज्ञान की एक सशक्त शाखा के रूप में वर्धमान होने लगा। अध्यापन की दृष्टि से इस शाखा से कई महत्वपूर्ण योगदान आए। कर्ट लेविन द्वारा प्रस्तुत "सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत" ने विशेष रूप से विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचना के अवकलन की ओर शिक्षाविदों का ध्यान आकर्षित किया। सीखने के प्रक्रम पर शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए इस बल के परिणामस्वरूप अध्यापन एक विज्ञान स्वीकार किया जाने लगा।

इस प्रगतिगामी पथ पर अध्ययन के विकासात्मक स्वरूपों की रूपरेखा कुल इस प्रकार बनी :

- **विषय-विशेषज्ञ** द्वारा छात्र को **विषय वस्तु का सहज रूपेण प्रेषण। अध्यापन, एक सहज प्रक्रम।**
- **अध्यापन-शास्त्र** के रूप में सांशैक्षिकी (Educational Pedagogy) का जन्म; शिक्षक-शिक्षा का प्रारंभ एवं विधिवत विकास।
- शिक्षक के लिए अधिगम विज्ञान में भी पारंगत होना आवश्यक। अधिगम मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के समन्वित विकास के साथ अध्यापन एक विज्ञान बना, और आज के युग में हमने घोषित किया है कि अध्यापन एक टेक्नोलॉजी है।

वर्तमान युग में शिक्षक-शिक्षा की चुनौतियाँ

आज के युग में शिक्षा, एक उद्योग, एक तकनीक, एक प्रौद्योगिकी के रूप की ओर अग्रसर हो रही है। समय की गति-प्रकृति और परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा के विकास में यह आयाम भी अपरिहार्य है। भारत की बढ़ती अपार जनसंख्या, निराशापूर्ण निरक्षरता और निम्न जीवनस्तर के संदर्भ में औद्योगिक-तकनीकी उपागमों का अपना विशिष्ट महत्व है।

प्रत्येक परिवर्तन का प्रति चरण, कतिपय प्रश्नों को संग लिए रहता है। हरेक विकास के साथ कुछ चुनौतियाँ संलग्न रहती हैं और कोई भी नूतन देन एक अमिश्रित वरदान नहीं होती।

शिक्षा एक उद्योग के रूप में

वर्तमान युग में शिक्षा के प्रसार की असीम आवश्यकता को देखते हुए उसका औद्योगिक उपागम से आयोजन, एक अनिवार्य वास्तविकता बनता जा रहा है। इस उपागम के स्पष्ट लाभ हैं–

गति, विस्तार, प्रभाविता, सम्यकता, एकरूपता, उत्पादकता आदि।

उपरोक्त लाभों के साथ संयुक्त चुनौतियों के रूप में कई प्रश्न उपस्थित होते हैं।

क्या शिक्षा-प्रक्रम आनंददायी भी है?

जॉन लिओनार्ड की प्रसिद्ध पुस्तक *एजुकेशन एंड एक्स्टेसी* में विद्वान लेखक ने संगत प्रश्न उठाए हैं। शिक्षण संस्थाओं का वर्णन करते हुए वह कहते हैं, "विद्यालय एक कारखाना है जिसका प्रधानाचार्य उसका प्रबंधक है, अध्यापकगण कार्यकर्ता हैं और छात्रजन उत्पाद हैं। इस उत्पाद में संख्यात्मक वर्धन के साथ यंत्रवत एकरूपता है। विद्यालय समय की समाप्ति की घंटी बजते ही भीतर के कार्यकर्ता फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के समान राहत अनुभव करते हैं।"

शिक्षक-शिक्षा की आज पहली चुनौती, मेरी राय में यह है कि किस प्रकार शिक्षा को एक आनंददायी प्रक्रम बनाया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण का यह ज्वलंत प्रश्न हमें घूरता है। जॉन लिओनार्ड उपरोक्त पुस्तक में एक स्टाफ रूम का मार्मिक चित्रण करते हुए वह कहते हैं, "शिक्षक थके हुए हैं। दागों से युक्त कॉफी के प्यालों में वे राहत की आहें भरते हैं। आज हमारे सामने यह चुनौती है कि शिक्षक-शिक्षा के माध्यम से हम किस प्रकार एक भावी शिक्षक के मन में यह आस्था जागृत करें कि अध्यापन प्रक्रम आनंददायी हो सकता है।"

क्या अध्यापन सृजनात्मक है ?

"सृजनात्मकता" के लक्षणों का विवेचन करते हुए मनोवैज्ञानिक घिसलिन ने एक सार्थक लक्षण यह भी बताया था कि जो वस्तु हमें सौंदर्यबोधयुक्त आनंद दे, उस उत्पाद को हम सृजनात्मकता

का परिणाम कह सकते हैं। क्या अध्यापन आनंददायी प्रक्रम है? इस प्रश्न के उपरोक्त विवेचन ने तो यह शंका उत्पन्न कर दी है कि आज अध्यापन एक आनंददायी प्रक्रम भी है या नहीं! तो फिर सौंदर्यबोधयुक्त आनंद की बात ही कहाँ ? कदाचित् जिन मानवीय गुणों का विकास हम शिक्षा के माध्यम से करने की बात आज करते हैं, उन गुणों में सौंदर्यबोध, संवेदनशीलता और आनंदित रहने की क्षमता ऐसे लक्षण हैं जिनका आज के शिक्षा जगत में सबसे अधिक घाटा दृष्टिगोचर होता है।

शिक्षा में सृजनात्मकता लाने के प्रश्न को एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि आज हमें परिस्थितिवश उद्योग के यांत्रिक तंत्र का उपागम शिक्षा के विस्तार में प्रयुक्त करने की अनिवार्य आवश्यकता आ पड़ी है। उद्योग के उत्पाद का अंतर्निहित लक्षण है एकरूपता; और एकरूपता का सृजनात्मकता से मनोवैज्ञानिक विरोध है। शिक्षक-शिक्षा की आज यह एक महान चुनौती है कि शिक्षा के विस्तार-प्रसार के संदर्भ में, किस प्रकार शिक्षण-शिक्षा का आयोजन करें कि शिक्षक-प्रशिक्षण, और इन प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा विद्यालयीय अध्यापन, दोनों ही सृजनशील प्रक्रम बन सकें।

अध्यापक की नई भूमिकाएँ

विकासमान प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अध्यापक को अपनी नई उभरती भूमिकाओं के बारे में प्रशिक्षित करना शिक्षक-शिक्षा की तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती है। कंप्यूटर, शिक्षक को अवस्थापित नहीं कर सकता। हमें नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में हमारे भावी अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ उन्हें अपनी नवीन भूमिकाओं के लिए भी तैयार करना होगा।

आज दुनिया सिकुड़ कर छोटी सी हो गई है– दूरसंचार के

सशक्त साधनों के कारण विविध देशों, संस्कृतियों, समाजों के संगम के साथ-साथ सभी वयस्कों की पुरानी भूमिकाओं में नित नूतन आयाम जुड़ते जा रहे हैं। बहुत सी सूचनाएँ बनाकर उन्हें हम पाठ्योत्तर तकनीकी साधनों से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अध्यापन के स्वरूप, उसके उपागम-आयोजन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। साथ ही अधिगम के विस्तारित पर्यावरण और परिवर्धित सूचना क्षेत्र के संदर्भ में उसके चिरंतन मूल्यों की रक्षा, उसकी आवश्यक आस्थाओं का विकास, अपनी संस्कृति के प्रति आदर आदि कई ऐसी बातें हैं जिनकी ओर आज के वयस्कों को सजग रहना है। हमारी दृष्टि से इन वयस्कों में एक अध्यापक का स्थान सबसे गौरवपूर्ण है। भावी अध्यापकों को अपनी इस गरिमामयी भूमिका निभाने हेतु हमें प्रशिक्षित करना है।

व्यवसाय के प्रति निष्ठा

उपरोक्त बिंदु का विवेचन हमें सहज रूप से उस चुनौती पर ले जाता है जो आज शिक्षा जगत की सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है।

भारतीय संस्कृति में अध्यापक के लिए 'गुरु' शब्द का प्रयोग होता है। जिसका अर्थ है "भारी, वजनदार"। बड़ा ही गरिमामय है यह व्यवसाय। बड़े ही शक्तिशाली कंधों की आवश्यकता है इस वजनी व्यवसाय को वहन करने हेतु। उसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है।

।।गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः,
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।।

लेकिन हमें दुःख के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि अध्यापन को एक विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के पद तक समुन्नत करने के उत्साह के बावजूद अध्यापकों की अपने ही व्यवसाय के

प्रति निष्ठा में गिरावट सी दृष्टिगोचर होती है। निष्ठा, आस्था, लगन और भक्ति के बिना, केवल वैज्ञानिक–तकनीकी उन्नति से हम अध्यापन के क्षेत्र में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

आज हमारे समक्ष बड़ी चुनौती है कि हम अपने शिक्षक प्रशिक्षण में किन तत्वों को, कौन से अनुभवों को, किस प्रकार समाविष्ट करें कि एक वांछनीय व्यवसाय निष्ठा भावी अध्यापक में उत्पन्न कर सकें।

▼▼▼

संदर्भ ग्रंथ

1. *चैलेंजेज ऑफ एजुकेशन–ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव;* शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली–1985।
2. *नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986;* मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (शिक्षा विभाग), नयी दिल्ली, 1986।
3. *टेक्नोलॉजी बॉक्स एट द डोर ऑफ एजुकेशन;* ले. देवल और शाह; प्रकाशक : सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, बड़ोदरा, 1970
4. *एजुकेशन एंड एक्सटेसी;* लेखक : जॉन मरे, 1970।
5. *एजुकेशन इंन इंडिया : टुडे एंड टुमॉरो;* लेखकः मुखर्जी एस.एन.; प्रकाशक : आचार्य बुक डिपो, बड़ोदरा; 1980।
6. *एजुकेशन ऑफ टीचर्स इन इंडिया;* लेखक : मुखर्जी एस. एन, प्रकाशक : एस.चांद एंड कंपनी, नयी दिल्ली ; 1968।
7. *क्रिएटिविटी इन एजुकेशन ;* लेखक : त्रिपाठी एस.एन; प्रकाशक : क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, रिजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोपाल; 1969।

कैंसर से बचाव

डॉ. जे. एल. अग्रवाल

कैंसर रोग का प्रायः पूर्णतः सफल उपचार अभी तक उपलब्ध नहीं है। अतः इसके भयानक दुष्परिणामों से बचने का सर्वोत्तम ढंग है कि कैंसर से बचाव किया जाए और इसके चंगुल में आने की संभावना यथासंभव कम कर दी जाए।

कैंसर से बचाव के लिए आवश्यक है कि कैंसर ग्रस्त होने, इसके शरीर में विकसित होने की पूरी प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान हो, साथ ही कैंसर रोग की पूर्व या शुरुआती अवस्था में ही निदान, पहचान की विधियाँ विकसित हों।

कैसर से बचाव के कई स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं–

○ **प्राथमिक बचाव** : इसमें कैंसर कारक तत्वों, जीवाणुओं के संक्रमण, विकिरण रसायन, प्रदूषण इत्यादि से बचाव किया जाता है, रोग की संभावना होने पर दवाओं का सेवन किया जा सकता है।

○ **द्वितीयक बचाव** : इसमें जनसाधारण या ज्यादा खतरे वाले समूह में रोग की पूर्व अवस्था की पहचान कर उपचार किया जाता है या फिर रोग की शुरुआती अवस्था में, जब कैंसर का उपचार संभव है, निदान हो सके जिससे उपचार कर कैंसर का जड़ से उन्मूलन किया जा सके।

कैंसर कारक तत्वों से बचाव

अनेक ऐसे तत्वों और परिस्थितियों का पता चला है जिनमें कैंसर कारक तत्व होने की संभावना ज्यादा होती है। अतः इन तत्वों के संपर्क में आने वाली परिस्थितियों से बचाव करने से काफी हद तक कैंसर की संभावना कम की जा सकती है।

तंबाकू : तंबाकू के विभिन्न रूपों में सेवन से फेफड़े, मुँह, स्वरयंत्र, गुर्दे, आमाशय, ग्रासनली, गले के कैंसर, महिलाओं में स्तन, गर्भाशय, ग्रीवा कैंसर की संभावना बढ़ जाती है।

अनुमान है कि तंबाकू कुल कैंसर में 30 प्रतिशत से ज्यादा कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है और तंबाकू के कारण करीब 3 लाख मौतें प्रतिवर्ष हो जाती हैं।

अतः तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में हानिकारक होता है। सिगरेट, खैनी, गुटखा या अन्य रूप में तंबाकू का सेवन न करें। यदि सेवन करते हैं तो उसका आज से ही परित्याग करें।

सिगरेट पीने की संख्या और कैंसर का सीधा संबंध है, इसका परित्याग करने से कैंसर का खतरा कम हो जाता है।

सिगरेट और बीड़ी पीने वालों में तो कैंसर एवं अन्य घातक रोगों का खतरा रहता ही है साथ ही इन व्यक्तियों के आस–पास रहने वाले व्यक्तियों के फेफड़ों में धुआँ प्रविष्ट होकर दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। अतः स्वयं सिगरेट न पीएँ, दूसरों को भी धूम्रपान से रोकें क्योंकि उनका छोड़ा हुआ धुआँ आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। ज्यादातर व्यक्ति किशोरावस्था या युवावस्था में सिगरेट सेवन शुरू करते हैं अतः सिगरेट, तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जनचेतना उत्पन्न करना आवश्यक है जिससे युवावर्ग इसका लती न बने। सिगरेट या तंबाकू का किसी भी अन्य रूप में सेवन करने वाले व्यक्ति इच्छाशक्ति के द्वारा

इसका परित्याग करें। अध्ययनों से पता चलता है कि करीब 90 प्रतिशत व्यक्ति दृढ़ इच्छाशक्ति द्वारा तंबाकू–सिगरेट का परित्याग करने में सफल हो सकते हैं। यदि इच्छाशक्ति द्वारा सफलता नहीं मिलती तो चिकित्सक या नशामुक्ति केंद्र से सलाह लें।

अपरोक्ष धूम्रपान से भी बचाव आवश्यक है। घर में किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान की इजाजत न दें। सार्वजनिक स्थानों, पार्क, सिनेमा हाल, थियेटर, बस, ट्रेन कार्यालय में धूम्रपान निषेध होना चाहिए और इसका पालन सुनिश्चित होना चाहिए।

अनुमान है कि तंबाकू–सिगरेट सेवन पर नियंत्रण करने से कैंसर के कारण होने वाली दस लाख से ज्यादा व्यक्तियों की मौत को प्रतिवर्ष रोका जा सकता है।

यदि सिगरेट–तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति इनका परित्याग करते हैं तो भी कैंसर से काफी हद तक बचाव होता है। यदि तंबाकू, सिगरेट सेवन करने वाले बीमारी की चपेट में आ गए हैं तो तुरंत इसका सेवन बंद करें। चिकित्सक को उपचार शुरू करने से पूर्व तंबाकू–सिगरेट छोड़ने की शर्त रखनी चाहिए।

भोजन में सावधानी : असंतुलित भोजन तथा भोजन में मौजूद विभिन्न तत्व भी कुल कैंसर में करीब 35 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। गलत खानपान से बड़ी आँत, मलाशय, प्रोस्ट्रेट, आमाशय, ग्रास नली, स्वर यंत्र, गले, मुँह, लिवर इत्यादि के कैंसर का खतरा रहता है।

कम रेशे और ज्यादा वसा युक्त भोजन लेने से कैंसर की संभावना बढ़ जाती है जबकि कम वसा, ज्यादा रेशा युक्त भोजन के सेवन से बड़ी आँतों एवं अन्य कैंसर से बचाव होता है।

भोजन में मांसाहारी भोज्य पदार्थों का कम सेवन करें, मांसाहारी भोज्य पदार्थों की मात्रा 90 ग्राम प्रतिदिन से कम होनी चाहिए।

भोजन में कैलोरी की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सब्जियों, फलों, अनाज, दालों का प्रचुर मात्रा में सेवन करें। भोजन में विटामिन ए, सी, बीटा कैरोटिन, ई और सिलेनियम प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। यह एवं अन्य एंटीआक्सीडेंट कैंसर से बचाव करते हैं

स्मोक्ड, ग्रिल भोज्य पदार्थों का कम से कम सेवन करें। अचार मिर्च का सेवन कम करें। भोजन को अत्यधिक गर्म करके न सेवन करें। एक ही तेल को बार-बार गर्म करके उपयोग में न लाएँ।

विकिरण किरणों से बचाव : विकिरण किरणें एक्स-रे, गामा-रे करीब तीन प्रतिशत कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनके संपर्क में आने पर रक्त कैंसर, फेफड़ों इत्यादि के कैंसर का खतरा रहता है।

जापान में हिरोशिमा, नागाशाकी में एटम बम विस्फोट के बाद रक्त कैंसर के मरीजों की संख्या में बेहताशा वृद्धि हो गई थी।

अति आवश्यक होने पर ही एक्सरे करवाएँ। जिन स्थानों पर यह किरणें निकलती हैं उन स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। डॉक्टर, नर्स, रेडियोग्राफर, न्यूक्लियर वैज्ञानिक, प्रयोगशाला कर्मी को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इनके लिए विशेष सुरक्षा कवच तथा काउंटर होता है। इनका उपयोग सुनिश्चित करें।

प्रदूषण : कारखानों से निष्कासित रसायनों, धातुओं इत्यादि तत्वों का कैंसर उत्पन्न करने में लगभग 4 प्रतिशत योगदान होता है। कारखानों के प्रदूषण से फेफड़ों, यकृत, मूत्राशय, फेफड़ों की झिल्लियों के कैंसर का खतरा रहता है। पेन्ट, पेट्रोलियम, बैटरी उद्योग के मजदूरों में विशेष रूप से कैंसर का खतरा रहता है।

उद्योगों के प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रभावी कदम उठाने चाहिए। कारखानों में नई विकसित तकनीकों का उपयोग हो, उसमें कम से कम प्रदूषण हो, मानव का इन प्रदूषित तत्वों से कम से कम संपर्क हो। साथ ही इन उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों को रोगों से बचाव के लिए आवश्यक सुविधाएं–मास्क, दस्ताने, जूते, सुरक्षा कवच इत्यादि उपलब्ध होने चाहिए। इन उद्योगों के कर्मचारियों का नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए जिससे रोग का शुरुआती अवस्था में ही पता लग जाए और उपचार किया जा सके।

अल्ट्रावायलेट किरणें : सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कुछ संवेदनशील व्यक्तियों में त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अतः लंबे समय तक धूप में रहने से बचना चाहिए।

वायरस संक्रमण : अनेक वायरस संक्रमण के कारण भी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अनुमान है कि विभिन्न वायरस संक्रमण करीब 15 लाख कैंसर के मामलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। एच.पी.वी. संक्रमण के कारण मुँह का कैंसर, महिलाओं में गर्भाशय, ग्रीवा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। एच.आई.वी. संक्रमण (एड्स) के कारण कारसोनी कैंसर हो सकता है। यह दोनों संक्रमण प्रायः असुरिक्षत यौन संबंधों से फैलते हैं। अतः अजनबी व्यक्ति से यौन संबंध न बनाएँ।

हेपेराइटिस-बी संक्रमण भी यकृत कैंसर पैदा कर सकता है। इसके बचाव के लिए टीका लगवाएँ जिससे रोग के साथ ही कैंसर से भी बचाव होगा।

रसायन, प्रदूषण : बाजरे, मक्का, कपास, गेहूँ, मूंगफली, इत्यादि में लगने वाले फफूँद के संक्रमण के कारण इनसे इफलो

टॉक्सिन स्रावित हो सकता है जिसके कारण यकृत कैंसर का खतरा रहता है अतः संक्रमित, सड़े, गले, अनाजों का सेवन न करें।

अनेक रसायनों के कारण भी कैंसर का खतरा रहता है। एरोमैटिक अमीन के कारण मूत्राशय, एस्बेस्टस के कारण फेफड़ों, फेफड़ों की झिल्ली, बेन्जीन के कारण रक्त कैंसर, विनायल क्लोराइड के कारण यकृत कैंसर का खतरा रहता है। अतः इन उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए।

वातावरण में मौजूद अनेक प्रदूषक रसायन भी कैंसर कर सकते हैं अतः वातावरण प्रदूषण कम करने के प्रयास करने चाहिए। इस दिशा में बेहतर तकनीक के मोटर वाहनों का निर्माण और शीशा रहित पेट्रोल के उपयोग को बढावा देना स्तुत्य प्रयास हैं।

उद्योगों से निष्कासित प्रदूषण पर भी नियंत्रण होना चाहिए। उद्योगों से निष्कासित कचरे को पहले निष्क्रिय करना चाहिए।

घर के अंदर का प्रदूषण भी अनेक रोगों का कारण हो सकता है। घर में धुँआ रहित ईंधन का उपयोग करना चाहिए।

शराब : अत्यधिक शराब का सेवन करीब 3 प्रतिशत कैंसर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लंबे समय तक शराब के सेवन से यकृत, ग्रासनली, मुँह, महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। शोधों से पता चला है कि अत्यधिक मात्रा में बीयर सेवन करने में बड़ी आँत के कैंसर का खतरा रहता है।

यदि शराब सेवन के साथ ही सिगरेट का सेवन किया जाता है तो ग्रासनली, मुंह के कैंसर का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है।

शराब का सेवन न करें या फिर मजबूरी होने पर यदा–कदा सीमित मात्रा में करें।

जीवन शैली एवं स्वच्छता : मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडियो तरंगें, पावर लाइन से निकलने वाली तरंगें, प्लास्टिक फिल्में भी शक के दायरे में हैं। इसी प्रकार कुछ दवाएँ, सौंदर्य प्रसाधन भी कैंसर कारक हो सकते हैं। इनका प्रयोग भी चिकित्सक से पूछकर ही करें।

जननांगों की स्वच्छता के अभाव में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही स्वच्छता के नियमों का पालन करने से संक्रामक रोगों से भी बचाव होता है।

दवाओं के सेवन के द्वारा कैंसर से बचाव

कैंसर भयानक रोग है। इससे बचाव के विभिन्न तरीकों की खोज जारी है। दवाओं के सेवन द्वारा के या अन्य तत्वों के सेवन के द्वारा कैंसर रोग की संभावना कम करने या बचाव के लिए वैज्ञानिक प्रयासरत हैं। विश्वभर में अनेक केंद्रों में इसके लिए अनुसंधान चल रहा है। वैज्ञानिक कैंसर की पूर्व दशा या शुरुआती चरण में उपचार बचाव या पूर्व स्थिति में लाने के लिए विधियों को खोजने के लिए प्रयासरत हैं।

कैंसर से बचाव के लिए कुछ दवाओं और हार्मोन का उपयोग किया जाता है जिसकी विशिष्ट खुराक कैंसर का ज्यादा खतरा होने होने पर मरीज को दी जाती है–

- कास–2 इन्हीबिटर को बड़ी आँत के कैंसर के पूर्व रूप फेमिलियल पालीपोसिस के मरीजों को कैंसर बनने से बचाव के लिए दिया जा सकता है।
- विटामिन 'ए' और इसके पूर्व रूप बीटा कैरोटिन इत्यादि के सेवन से मुँह के सफेद चकत्ते–लिकोप्लेकिया, जोकि कैंसर की पूर्व दशा है, के उपचार में उपयोग किया जा सकता है।

- रेटिनिल पामलेट भी विटामिन 'ए' का समकक्ष तत्व है। इसके सेवन से फेफड़ों के कैंसर से बचाव होता है। साथ ही फेफड़ों के कैंसर के उपचार के बाद दुबारा होने की संभावना करीब 30 प्रतिशत कम हो जाती है।
- विटामिन सी, ई, डी, कैल्शियम कार्बोनेट, रेटिनाल, एस्प्रिन, ओमेगा–3, फैटी–एसिड, गेहूँ की बाली का रस इत्यादि कैंसर से सुरक्षा प्रदान सकती है।
- टेमीक्सीफेन नामक दवा महिलाओं को स्तन कैंसर से बचाव के लिए दी जा सकती है।

विश्व में अनेक केंद्रों पर विभिन्न तत्वों से कैंसर के बचाव के लिए शोध, परीक्षण चल रहे हैं। आशा है भविष्य में विभिन्न प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए अन्य तत्व भी उपलब्ध होंगे। विटामिन ई और बीटा कैरोटिन का फेफड़ों के कैंसर से बचाव के लिए परीक्षण चल रहा है। ज्यादातर बड़ी आंत के कैंसर की शुरुआत एडिनोमा पालीप से होती है। इसमें एस्प्रिन, पायरक्सीकेम, कैल्शियम के सेवन से बचाव पर परीक्षण हो रहे हैं।

कुछ ज्ञात कैंसर तत्व और उनके कारण होने वाला कैंसर

एल्केलेटिंग रसायन	– रक्त कैंसर, मूत्राशय कैंसर
एन्ड्रोजन हार्मोन	– प्रोस्ट्रेट कैंसर
एरोमेटिक अमीन डाई	– मूत्राशय कैंसर
आर्सेनिक	– फेफड़ों, त्वचा कैंसर
एस्बेस्टस	– फेफड़ों की झिल्ली के कैंसर
बेंजीन	– रक्त कैंसर
क्रोमियम	– फेफड़ों का कैंसर
एस्ट्रोजन हार्मोन	– गर्भाशय, यकृत कैंसर

शराब	– यकृत ग्रासनली, मुँह, गले का कैंसर
हेलिको बैक्टर पायलोनी बैक्टीरिया	– आमाशय कैंसर
हियेटाइटिस बी, सी	– यकृत कैंसर
एच.आई.वी.	– लिम्फोमा त्वचा कैंसर कपोसोई सारकोमा
डाई इथाइल स्टिल बिस्ट्राल	– योनि कैंसर
ह्यूमन टी सेल लिम्फोमा वायरस टाइप–1	– रक्त कैंसर, लिम्फोमा
नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस	– फेफड़े, मुँह, गले, नाक का कैंसर
पाली साइकलिक हाइड्रोकार्बन	– फेफड़े, त्वचा कैंसर
अल्ट्रावायलेट किरण	– त्वचा कैंसर
तंबाकू	– मुँह, गले, स्वर यंत्र, फेफड़ों, स्तन, मूत्राशय इत्यादि का कैंसर
विनायल क्लोराइड	– यकृत कैंसर
सिस्टोसोमिया परजीवी	– मूत्राशय कैंसर
कैंसर के उपचार में उपलब्ध दवाएँ– एजोथायोप्रिम, साइकलो स्पोरिन	– लिम्फोमा इत्यादि का कैंसर

▼▼▼

मीडिया, हिंदी और तकनीकी शब्दावली

अमित कुमार विश्वास

आधुनिक प्रौद्योगिकी ने मीडिया की ताकत को बहुत बढ़ा दिया है। आज मीडिया की पहुँच समाज के प्रायः हर वर्ग तक है। इसका प्रभाव सर्वाधिक उन बच्चों पर पड़ता है, जो सर्वाधिक समय टी.वी. कार्यक्रमों को देते हैं। बच्चे टी.वी. के संदेश को सत्य मानकर अपनी जीवन में प्रयोग करने लगते हैं। हिंदी के ख़बरिया चैनलों द्वारा प्रेषित भाषा को ही बच्चे सीखकर पल-बढ़ रहे हैं। यहाँ यह सवाल उठता है कि क्या वे भाषिक विकास कर रहे हैं? भाषा के विकास व संवर्धन से तात्पर्य होता है एक मौलिक सभ्यता का विकास, संस्कृति का विकास। किसी भी देश की भाषा वहाँ की अस्मिता की पहचान होती है, राष्ट्र की अर्जित शक्ति या संपदा होती है।

पत्रकारिता की भाषा जनोन्मुखी होती है। 'जनता ही सर्वोपरि है' को मान्यता देने वाली परंपरा में बाजार का बोलबाला इस कदर बढ़ा है कि आज सर्वत्र बाजार ही दिखता है। हिंदी भी बाजार की भाषा हो गई है। मीडिया ने हिंदी को वैश्विक धरातल पर प्रतिष्ठापित किया है। कुमुद शर्मा ने *समाचार बाजार की नैतिकता* पुस्तक में उल्लेख किया है कि हिंदी पर बहुराष्ट्रीय

मीडिया कंपनियों की बहुत बड़ी कृपा है। सरकारी कार्यालयों में अनेक समितियों की देखरेख में हिंदी अनुवाद की वैशाखी के सहारे घिसट-घिसट कर चल रही थी। राजभाषा अधिनियम बनने और लागू होने के सालों-साल बाद भी यह आँकड़ों के परिदृश्य में दृश्य-अदृश्य का खेल खेल रही और जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। उसे सरकारी दस्तावेजों में जो संरक्षण मिला, वह कागजी बनकर रह गया। वह 14 सितंबर के अवसर पर हिंदी दिवस पर हिंदी पखवाड़ों का आनुष्ठानिक या रस्मी संरक्षण भर बन सका। सरकारी आदेश या प्रोत्साहन से हिंदी को जो मान-सम्मान नहीं मिल पाया, वह उसे मीडिया की मंडी में मिला और इसने व्यापार की भाषा के रूप में विकास व समृद्धि का खजाना पाया। जयंती प्रसाद नौटियाल के शोध-अध्ययन पर नजर दौड़ाएँ तो हम पाते हैं कि हिंदी विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली व समझी जाने वाली भाषा है। यह सही है कि तकरीबन 70 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से तथा 15 करोड़ लोग अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी से जुड़कर रोजगार कर रहे हैं। आज हिंदी पेट की भाषा बन गई है।

आज सवालिया निशान उठाया जाता है कि आप जिस हिंदी को देख रहे हैं क्या वह किसी विमर्श का मुद्दा बन सकती है? या फिर आज जो बच्चे मीडिया से हिंदी सीख रहे हैं वह किस प्रकार की हिंदी है? पत्रकारिता को आधार-स्तंभ देने वाले बाबूराव विष्णु पराड़कर ने अंग्रेजी के बदले कई हिंदी शब्दों को आमभाषा में प्रचलित किया यथा; राष्ट्रपति, श्री, श्रीमती, मुद्रास्फीति, परराष्ट्र आदि। आखिर आज के पत्रकारों में यह चेतना क्यों नहीं जग पाती है? दरअसल, बहुसंख्य उपभोक्ता वाले देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने माल को बाजार में खपाने के उद्देश्य से मीडिया

के माध्यम से इस भाषा में बाजार में उतर पड़ीं। उन्होंने हिंदी को अपनाया लेकिन उस पर चमकीली पन्नी चढ़ानी शुरू कर दी। हिंदी के ख़बरिया चैनलों में तकरीबन 40 प्रतिशत काम अंग्रेजी में होता है। वे हिंदी को नई पोशाक पहनाकर नए रूप व कलेवर में प्रस्तुत कर रहे हैं। हम प्रतिदिन एंकर, प्रोमो, टिकर जैसे सैकड़ों अंग्रेजी शब्दों को देखते व सुनते हैं। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की परंपरा को अपनाने वाली मीडिया नियोजनबद्ध तरीके से पाश्चात्य संस्कृति को आत्मसात करवाने के उद्देश्य से हम तक संदेश पहुँचाने लगी है। भूमंडलीय संचार माध्यमों को देखकर यह भ्रम होता है कि वे स्वतंत्र व तटस्थ हैं। सच में ऐसा नहीं है। इन माध्यमों की बुनियादी प्रकृति वर्चस्ववादी और संप्रभुता-विरोधी है। इनके द्वारा स्वतंत्रता की मांग मुनाफ़े और बाजार की आजादी की मांग है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से इसका कोई संबंध नहीं है। ये स्वतंत्रता के नाम पर 'प्रभुत्व' का विस्तार करते हैं, समानता का निषेध करते हैं। इसके जवाब में प्रतिक्रिया पैदा होती है, अंतर्विरोध पैदा होते हैं। प्रतिरोधी भाव जन्म लेने लगते हैं। ऐसी स्थिति में माध्यम संघर्ष राजनीतिक संघर्ष की शक्ल ले लेता है। इस संघर्ष को सुसंगत ढंग से चलाने के निहितार्थ के अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को समझना जरूरी होगा।

वैश्विक बाजार पर कब्जा मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। बाजार विस्तार के लिए जो विशाल मीडिया फर्में सक्रिय हैं, उनमें से ज्यादातर अमरीकी या पश्चिमी यूरोप व जापान की कंपनियाँ हैं, वे चाहे हार्डवेयर का निर्माण करती हों या सॉफ्टवेयर का। भूमंडलीय स्तर की पाँच बड़ी कंपनियाँ जो मनोरंजन और मीडिया सॉफ्टवेयर का निर्माण करती हैं, ये हैं– टाइम वार्नर, डिज्नी, न्यूज कार्पोरेशन, वायकाम, टी.सी.आई.। ये मीडिया फर्में

भारत ही नहीं अपितु समस्त तीसरी दुनिया के देशों पर बहुराष्ट्रीय निगमों/कंपनियों के द्वारा अपने बाजार का विस्तार करना चाहती हैं।

वर्चस्वशाली ताकतों की भाषा में उत्पीड़कों का जीवन समझना बेहद मुश्किल है। संचार-नीति, प्रौद्योगिकी और समाज-व्यवस्था के समस्त ताने-बाने के मूल्यांकन के बाद शिलर ने लिखा, 'यहाँ इरादा इस बात पर जोर देने का नहीं है कि संचार और संस्कृति से जुड़ी नीति के विस्तार में नई प्रौद्योगिकी से बचा जाए, उसे खारिज किया जाए या उसका कम से कम उपयोग किया जाए। संचार व्यवस्था के विस्तार का उद्देश्य होता है गंभीर चेतना के निर्माण में मदद पहुँचाना। जिस तरह सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता अपने आप में उत्पादक नहीं हो सकती, उसी तरह प्रौद्योगिकी का अंधाधुंध खारिज किया जाना कमजोरी और पस्तहिम्मती को बुला लेने के बराबर है। जरूरत इस बात की है कि निर्णय लेने वाले क्षेत्र में यह माना जाए कि प्रौद्योगिकी सामाजिक उत्पाद है। यह निरपेक्ष नहीं है। इस पर उस सामाजिक व्यवस्था की छाप रहती है जो इसका उत्पादन करती है। यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि वर्चस्व के खिलाफ ज्यों ही संघर्ष होता है तो शासन व्यवस्था गैर–जरूरी मुद्दों को भी हवा देने लगती है या सामाजिक-आर्थिक संकट के समय वह ऐसी अवस्था पैदा करती है कि आप संयुक्त संघर्ष कर ही न पाएँ। इसी आलोक में आज के मीडिया मालिकान (पूँजीपति) राजनीति से गठजोड़ स्थापित कर चुके हैं। वे यह मानकर चलने लगे हैं कि जनता को जो दिखाया जाएगा वह उसे देखेगा ही । 'मुक्त चयन' का हौवा तो बस छलावा मात्र है। पूँजीपतियों ने बाजार पर कब्जा करने के उद्देश्य से हिंदी को अपनाया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को

मतलब होता है अपना माल बेचने से। माल-मुनाफे के चक्कर में बाजार भाव के अनुकूल भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ख़बरों में जो हिंदी परोसी जा रही है, उससे तो आप परिचित हैं ही। टीवी पत्रकार, जो कार्यक्रम निर्माण में लगे हैं, रोजाना अंग्रेजी में दैनंदिन कार्य को निपटाते हैं। पत्रकार बिरादरी और मीडियाकर्मियों ने भाषा की नई बाजारचाल को अवश्यम्भावी मान लिया है और उसी में सहज रूप से औचित्य भी तलाश लिया है। देशभर में टीवी के तकरीबन 450 चैनल हैं। इसमें करीब 50 चैनल ही प्रतिद्वंदी बाजार में टिके रहने का माद्दा रखते हैं। इन चैनलों का वित्तपोषण विज्ञापनदाताओं से होता है। विज्ञापनदाताओं की शर्तों को वे मानने के लिए बाध्य होते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने बाजार विस्तारित करने वाले संदेश को निहितार्थ के रूप में प्रसारित करवाती हैं। संदेश हिंदी में जरूर होते हैं पर उनपर अंग्रेजी की परतें चढ़ी होती हैं। मीडिया में बाजारू हिंदी या काम चलाऊ हिंदी वालों की चाँदी हो रही है। शुद्धतावादियों को पोंगा पंथी करार देकर हाशिए पर छोड़ दिया गया है। आज मीडिया में तत्क्षण ब्रेकिंग न्यूज़ का सहारा लिया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ के बहाने अंग्रेजी के शब्दों की भरमार देखने को मिलती है। आज मीडिया के ग्लैमर के आकर्षण में खिंचनेवाले पत्रकारों को भाषा की कतई चिंता नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ काम चलाऊ भाषा-ज्ञान से रोजी-रोटी कमाई जा सकती है। मीडिया संस्थानों में प्रवेश पाने के बाद भी उन्हें भाषा की चिंता नहीं बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ की चिंता सताती है। यह सीधे–सीधे भाषा को भ्रष्ट करने की कोशिश है, शब्द को अर्थ से, अर्थ को मानवीय संवेदनाओं से पृथक करने की कोशिश है। इसके कारण यथार्थ की प्रति हमारी विकृत समझ बन रही है। सही समझ के

लिए जरूरी है कि चीजों, वस्तुओं और घटनाओं को सही नाम से पुकारा जाए। ऐसे में समाज को दिशा देनेवालों से क्या अपेक्षाएँ की जा सकती है? यहाँ यह कहना उचित होगा कि दरअसल इसमें इन पत्रकारों का भी कोई दोष नहीं है। मरता क्या नहीं करता? पत्रकार वही करेगा जो मीडिया मालिकान कहेंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि मीडिया संस्थानों ने अपने यहाँ अंग्रेजी में हिंदी प्रसारित करने की छूट नहीं बल्कि आदेश दे रखे हैं। बाजार के नुस्खों से गढ़े ये आदेश भाषा और भाव दोनों का अवमूल्यन कर रहे हैं। समूचे विश्व में एक ही 'ग्लोबल कल्चर' और एक ही 'ग्लोबल लैंग्वेज' का नारा देते हुए भूमंडलीकरण का जो विजय रथ निरंतर बढ़ रहा है, उनके मंसूबों को पूरा करने में मीडिया प्रमुखों की टोली अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मीडियाकर्मियों को भाषायी अवमूल्यन के संदर्भ में समाज के लिए भी कुछ करने की जरूरत है। समाज में पीढ़ियों को तैयार करने हेतु भाषायी चेतना लाने के लिए हमें शुरुआत करने की जरूरत है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि हमें अंग्रेजी से बगावत नहीं अपितु बाजार की दृष्टि से उपजी संस्कृति से भारतीय संस्कृति की रक्षा करना है। इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएँगे कि आयरलैंड के लोगों ने अंग्रेजी के खिलाफ निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ीं जबकि आयरिश व अंग्रेजी लिपि में भी समानता थी। फ्रेंच, जर्मन, स्पैनिश आदि भाषाएँ अंग्रेजी के साम्राज्यवादी वर्चस्व के विरुद्ध अपनी भाषा में विकसित देशों की श्रेणी में हैं। अगर आज हमने अपनी भाषा के प्रति चेतना नहीं दिखाई तो आने वाली पीढ़ियाँ कभी भी माफ नहीं करेंगी क्योंकि पत्रकारों से समाज को बहुत अपेक्षाएँ हैं। इसीलिए तो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने पत्रकार की अंतरात्मा को ही सच्चे अर्थों में उसका

पथ-प्रदर्शक माना है। एक पत्रकार के लिए उसकी अंतरात्मा ही सच्चे अर्थों में उसका पथ प्रदर्शक होती है क्योंकि उसे अपना काम किसी के दवाब में रहकर और आड़े वक्त पर करना पड़ता है। पत्रकार ही वह व्यक्ति होता है जो रोजाना के हालात को देखता है, विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है तथा उन्हें प्रभावित करता है।

शब्दों की जिम्मेदारी और दोष सरकार के सिर मढ़ना न्यायोचित नहीं है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने तो साढ़े आठ लाख शब्द हिंदी भाषा में बनाए हैं पर हम प्रयोग नहीं कर रहे। आयोग ने पत्रकारिता की शब्दावली भी बनाई है जोकि तकरीबन 20 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। इसलिए इसमें वर्तमान समय में मीडिया में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली का अभाव है। आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली अद्यतन नहीं होने से पत्रकार तकनीकी शब्दों के लिए अंग्रेजी पर ही निर्भर हो गए हैं।

मीडिया (खास कर टीवी) में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली

कम्युनिकेशन : संचार / संप्रेषण

इन्ट्रापर्सनल कम्युनिकेशन : अंतः वैयक्तिक संचार

इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन : अंतर-वैयक्तिक संचार

ग्रुप कम्युनिकेशन : समूह संचार

ट्रेडीशनल कम्युनिकेशन : परंपरागत संचार

मास कम्युनिकेशन : जनसंचार

स्क्रिप्ट : पटकथा, दृश्यावली (वह कॉपी, जिसमें दृश्य के समान संवाद आदि हों)

वीडियो : किसी प्रसारण का चित्र पक्ष

स्ट्रिंगर : अंशकालिक संवाददाता

स्टाफर : मीडिया संस्थान का वेतनभोगी कर्मचारी।

फ्रीलांसर : स्वतंत्र पत्रकार।

एबीसी : ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन (पत्र प्रसार की जाँच करने वाली संस्था)।

प्रोमो : चैनलों द्वारा अपने प्रचार हेतु प्रचारात्मक संदेश दिखाना।

मॉनीटर : टीवी के आकारनुमा उपकरण जिन पर रिकार्डिंग के समय वीडियो की निगरानी की जाती है।

विजन मिक्सर : पीसीआर में उपयोग होने वाला उपकरण, इसके जरिए सही दृश्यों का चयन करके उन्हें मिलाकर प्रसारण योग्य तैयार किया जाता है।

प्रोड्क्शन यूनिट : निर्माण इकाई

असिस्टेंट प्रोड्यूसर : सहायक निर्माता

टीआरपी (टीवी रेटिंग पाइंट) : चैनलों के दर्शक वर्ग और संख्या को जानना।

न्यूज़ डेस्क : ख़बर का संपादन कर प्रसारित करने योग्य बनाने का स्थान।

मॉनीटरिंग : सभी चैनलों में अपने व दूसरे चैनलों पर निगरानी रखने की व्यवस्था।

वीडियो एडिटिंग : कच्चे ख़बर की जरूरत के अनुसार दृश्यों का संपादन कर सिलसिलेवार ढंग से दृश्यों को जोड़ना, प्रसारण योग्य बनाना।

लीनियर एडिटिंग : कैमरे के वीडियो टेप पर ही दृश्यों का संपादन करना।

नॉन लीनियर एडिटिंग : कंप्यूटर पर एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से संपादन करना।

पीसीआर (प्रोड्क्शन कंट्रोल रूम) : वह स्थान जहाँ से स्टूडियो की गतिविधियों को नियंत्रित व संचालित किया जाता है।

टेलीप्राम्प्टर : एक ऐसा यंत्र जिसे देखकर प्रस्तुतकर्ता ख़बर को पढ़ता है।

वीटीआर (वीडियो टेप रिकार्डर) : दृश्यों के संपादन के लिए इस्तेमाल में आने वाले उपकरण।

टिकर : न्यूज़ चैनलों में नीचे चलनेवाली पाठनुमा पट्टियाँ।

वोशॉट या वी ओ शॉट : ऐसी ख़बरें जिनमें केवल दृश्यों का उपयोग किया जाता है और उसके साथ-साथ पार्श्व वाचन चलता रहता है।

ड्राई न्यूज़ : दृश्य व ग्राफिक्स विहीन ख़बर।

एंकर ग्राफिक्स : आरेखिकी के आधार पर ख़बर को बताना।

एंकर बाइट : कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता, कार्यक्रम की जानकारी देने के उपरांत संबंधित व्यक्ति के कथन को दिखाया जाना।

एंकर शॉट : दृश्य चलते रहना और उन पर एंकर (कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता) द्वारा कमेंट्री करना।

पैकेज : ख़बर को पूर्ण रूप देना।

फोनो : फोन पर किसी घटना या ख़बर पर बातचीत।

सिमसेट : कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता (एंकर) व संवाददाता के बीच बातचीत।

टिकटेक : संवाददाता द्वारा किसी व्यक्ति से बातचीत। इसमें संवाददाता व साक्षात्कारदाता दोनों को दिखाया जाता है।

वाक थ्रू : संवाददाता द्वारा घटनास्थल पर घूमते हुए दृश्यों को दिखाना व कुछ लोगों से बात करते हुए घटना को बताना।

इंटरव्यू : साक्षात्कार

टेब्लायड जर्नलिज्म : सनसनीख़ेज पत्रकारिता।

फीलगुड जर्नलिज्म : प्रफुल्लित करने वाली पत्रकारिता।

रियलिटी शो : रियलिटी शो का वास्ता हकीकत से उतना नहीं होता, वह सच्चाई मनगढ़ंत होती है। दृश्यों व ध्वनि प्रभाव के जरिए नाटकीयता डाली जाती है।

बाइट जर्नलिज्म : वक्तव्य आधारित पत्रकारिता।

आयटम जर्नलिज्म : आकर्षक ख़बर पत्रकारिता।

पापारेजी : विशिष्ट लोगों की अंतरंग तस्वीरों को लेकर मोटी रकम पर बेचना।

पीआर जर्नलिज्म : जनसंपर्क पत्रकारिता।

च्यूइंगम जर्नलिज्म : रसहीन पत्रकारिता।

मीडिया ट्रायल : मीडिया के द्वारा किसी मामले पर सुनवाई करने व फैसला सुनाने की प्रवृत्ति।

लाइव : जीवंत, सीधा प्रसारण।

सोर्स : स्रोत

मैसेज : संदेश

कम्यूनिकेशन चैनल : संचार माध्यम

एनकोडिंग : संकेतीकरण

डिकोडिंग : संकेतवाचक

कम्युनिकेशन न्वाइज : संचार बाधा

रिसीवर : प्रापक

फीडबैक : प्रतिपुष्टि

ट्रीटमेंट : संदेश प्रतिपादक

कोड : कूट

गेटकीपर : चौकीदार

मीडियम : माध्यम

चैनल : माध्यम
इन्फारमेशन : सूचना
कन्टेक्स्ट : संदर्भ
कन्टेंट : विषय–वस्तु, सामग्री
क्लेरिटी : स्पष्टता
क्लीयर : स्पष्ट
कंप्लीट : पूर्ण
कनसाइज : संक्षिप्त
करेक्ट : शुद्ध
कैंडिड : सरल
कंक्रीट : वास्तविक
कोर्टियस : सौहार्दपूर्ण
ब्रेविटी : संक्षिप्तता
प्रिसीजन : यथार्थ
कनविक्सन : विश्वासपूर्ण
एक्यूरेट : सही
यूनिफॉरमिटी : एकरूपता
सिग्नल : संकेत
कर्टसी : शिष्टता, सौजन्य
न्वाइज : शोर
बैलेंस : संतुलन
ऑडियो विजुअल मीडियम : दृश्य-श्रव्य माध्यम
साउंड इफेक्ट : ध्वनि प्रभाव
सीन सीक्वेंस : दृश्य-क्रम
मूवमेंट : गति
सब्जेक्ट : विषय

शॉट : दृश्य
शॉट डिवीजन : दृश्य विभाजन
कैमरा एंगल : कैमरा कोण
लिप मूवमेंट : अधर संचालन
साउंड रिकार्डिस्ट : ध्वन्यंकणकर्ता
सिंक्रोनाइजेशन : ध्वनि व छायाचित्रों का तुल्याकलन करना
सेलेक्टिव एक्सपोजर : चयनित प्रकटीकरण
सेलेक्टिव परसेप्शन : चयनात्मक प्रत्यक्षीकरण
कांग्रुइटी : सामंजस्य
कंसिस्टेंसी : संगतता
नोवेल्टी : नवीनता
कानट्रास्ट : विषमता
इंटेनसिटी : तीव्रता
डिजोनेन्स : असंवादिता
कॉग्नीटिव इन्डेक्स : संज्ञानात्मक सूचकांक
एजेंडा सेटिंग : चर्चावली निर्धारण, विषय निर्धारण
कंजर्वेशन : संरक्षण
ट्रांसमिशन : प्रसारण
कूल मीडियम : शीत माध्यम
हॉट मीडियम : गर्म माध्यम
इंटरएक्टिव : अंतः क्रिया
फंक्शनलिज्म : प्रकार्यवाद
ग्लोबल विलेज : वैश्विक ग्राम
ग्लोबल कल्चर : वैश्विक संस्कृति
प्री-प्रोडक्शन : निर्माण-पूर्व
पोस्ट प्रोडक्शन : निर्माणोत्तर

एसाइनमेंट एडीटर : आवंटन संपादक
फॉरमेट : ढाँचा
न्यूज़ प्रोड्यूसर : समाचार निर्माता
एडिटोरिएलिस्ट :संपादनकर्ता
स्क्रिप्ट एडिटर : पटकथा संपादक
न्यूज़ कास्ट : समाचार निक्षेपण
फ्लोर डायरेक्टर : मंच निर्देशक
ऑडियो डायरेक्टर : श्रव्य निर्देशक
लाइटिंग डाइरेक्टर : प्रकाश निर्देशक
क्रेडिबिलिटी : विश्वसनीयता
डेस्टीनेशन : गंतव्य
कम्युनिकेटर : संप्रेषक / संचारक
कंसिस्टेंसी : अनुकूलता
कैपेबिलिटी ऑफ द ऑडिएंस : श्रोताओं की क्षमता
वर्बल कम्युनिकेशन : शाब्दिक संचार
नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन : अशाब्दिक संचार
ओरल कम्युनिकेशन : मौखिक संचार
एंकर : समाचार प्रस्तुतकर्ता
मल्टी मीडिया : बहुमाध्यम
ग्राफिक्स : आरेखिकी
एनिमेशन : सजीव आरेखिकी चित्रण
कम्प्यूटिंग इनवायरमेंट : अभिकलन परिवेश
सीडी-रोम : घन चक्रिका
लाउडस्पीकर : ध्वनिविस्तारक
स्पेशल इफेक्ट्स : विशिष्ट प्रभाव
रिहर्सल : पूर्वाभ्यास, पूर्वाभिनय

इंटरेक्टिव जर्नलिज्म : दर्शकों की सीधी भागीदारी वाली पत्रकारिता।

एबी रोल : दृश्य संपादन का एक प्रकार जिसमें दो स्रोतों से दृश्य लेकर उसमें विशिष्ट प्रभाव पैदा करने के लिए मिलाया जाता है।

न्यूज़ रूम : ख़बरिया चैनलों का वह कक्ष जहाँ सारी ख़बरें आती हैं और संपादकीय विभाग द्वारा उन्हें प्रसारण हेतु तैयार किया जाता है।

प्रोडक्शन हाऊस : स्वायत्त तरीके से विविध चैनलों व संस्थाओं के लिए कार्यक्रम तैयार करता है।

न्यूज़रीडर : समाचारवाचक / समाचार पढ़नेवाला।

विजुअल कवरेज : दृश्यों को इकट्ठा करना।

बुलेटिन : ऐसी बुलेटिन जो पहले रिकार्ड की जाती है।

लाइव बुलेटिन : ऐसी बुलेटिन जो सीधे प्रसारित की जाती है।

डेफर्ड लाइव : समाचार या कार्यक्रम में जिसका सीधा प्रसारण नहीं होता बल्कि वे रिकार्डिंग के तुरंत बाद दिखाए जाते हैं।

साउंड बाइट : किसी भी व्यक्ति से बातचीत का अंश।

डेडलाइन : निर्धारित समय के भीतर काम करना।

लाइब्रेरी फुटेज : दृश्य सामग्री को भविष्य में इस्तेमाल हेतु रखने का कक्ष।

ओबी (आउटडोर ब्रॉडकास्ट) वैन : स्टूडियो से बाहर, दूर-दराज के क्षेत्रों में सैटेलाइट के जरिए सीधे प्रसारण की व्यवस्था वाला वाहन।

ब्रॉडबैंड : इंटरनेट के जरिए उच्च तीव्रता के साथ आँकड़ों को भेजने का माध्यम।

टारगेट व्यूअरशिप : लक्ष्यानुरूप दर्शकवर्ग।

पीपल्स मीटर : चैनलों की लोकप्रियता को मापने वाला एक प्रकार का यंत्र।

प्री-प्रोडक्शन : कार्यक्रम निर्माण हेतु शूटिंग से पूर्व संबंधित कार्य।

पोस्ट प्रोडक्शन : शूटिंग के बाद खबरों और कार्यक्रमों को तैयार करने की प्रक्रिया।

इनजेस्ट : खबरों को सर्वर में भेजने की मशीनें और स्थान।

कॉपी रिपोर्टर : कार्यक्रम की पटकथा लिखने वाला।

पैकेज प्रोड्यूसर : खबर को पूर्ण रूप देने वाला।

वायस ओवर : पार्श्व वाचन।

एमसीआर (मास्टर कंट्रोल रूम) : पीसीआर निर्मित कार्यक्रमों को प्रसारण के लिए भेजने का समूह।

एसेंबलिंग : खबरों या कार्यक्रमों के विभिन्न हिस्सों को सिलसिलेवार ढंग से लगाना।

क्यू : रिकार्डिंग शुरू या बंद करने हेतु दिए जाने वाला संकेत।

रन डाउन : खबरों के प्रसारण का क्रम लगाना।

फ्लैश : अचानक आने वाली ताजातरीन खबरें।

ऑडियो मिक्सर : पीसीआर तथा एडिटिंग में प्रयोग होने वाला यंत्र, इससे ध्वनि को नियंत्रित व संपादित किया जाता है।

फोन-इन-यूनिट : चैनलों में फोन पर बातचीत करने हेतु प्रयुक्त होने वाली यंत्र व इकाई।

लाइन अप : शूटिंग या दूसरे कार्यों को सिलसिलेवार ढंग से पहले ही निर्धारित करना।

ट्रीटमेंट : खबर को कथ्य व शिल्प देना।

पीटीसी : (पीस टू कैमरा) खबरों के अंत व बीच में रिपोर्टर द्वारा कहे गए संदेश।

रीक्रिएशन : दृश्यों की पुनर्रचना।

फुटेज : शूट किए गए दृश्य।

लेपल माइक : कॉलर या बटन में लगाने वाली छोटी माइक।

हेडलाइंस : बुलेटिन की खास-खास ख़बरें।

ड्राई न्यूज : दृश्य हीन ख़बरें।

बिल्ड अप : खबर पर ध्यान दिलाने हेतु विशेष रूप से प्रस्तुत करना।

मोंटाज : कार्यक्रमों के रंग-रूप और कलेवर के बारे में संकेत देना।

लीड आउट : खबरों के अंत को आकर्षक बनाने के लिए दृश्यों और संगीत के महत्वपूर्ण हिस्से को बिना कमेंट्री के दे दिया जाना।

स्टीरियोटाइप : एक तरह का पूर्वग्रह बना लेना।

सैटेलाइट फोन : दुर्गम जगहों पर काम करने वाला फोन।

टाइम स्पेंट : दर्शक द्वारा किसी चैनल पर दिया गया समय।

टेलीजेनिक : ऐसे गुण जिससे कोई व्यक्ति टीवी स्क्रीन पर आकर्षक व खूबसूरत दिखता है।

वीटीआर : वीडिओ टेप रिकार्डर

एडेप्ट : किसी कहानी या उपन्यास को सीरियल/फिल्मी रूप देना।

एडलिव : बिना पटकथा के कमेंट के पूरे भाव के साथ बोलना।

अपरचर : कैमरे के लेंस के खुलने का आकार।

टैलेंट : अभिनेता या पात्र।

डॉक्यूमेंटरी : वृत्तचित्र

स्पीच : संवाद

साउंड ट्रैक्स : ध्वनि लीकें

साउंड इफेक्ट : ध्वनि प्रभाव

एडिटिंग : संपादन

एसपेक्ट रेसियो : टीवी सेट के पर्दे की लंबाई और चौड़ाई (चार इकाई चौड़ा और तीन इकाई लंबा)

एसिस्टेंट डायरेक्टर : सहायक निर्देशक

बैक ग्राउंड : पश्चभूमि या पृष्ठभूमि, पीछे का दृश्य।

बैक ग्राउंड म्यूजिक : पार्श्व संगीत

बैक डाउन : फिल्म के दृश्यों को एक ही फिल्म के दृश्यों के लिहाज से अलग कर देना।

बैक ग्राउंड लाइट : पार्श्व प्रकाश

बिग ग्राउंड लाइट : (बीसीयू) ऐसा क्लोज शॉट जिसमें मुख्यतया ओठ या आँखें दिखाई जाए।

बुसी : फ्रेम में कई सारी तस्वीर को दिखाना।

कैमरा मूवमेंट्स : कैमरे की गतियाँ

पैन : कैमरे को दाएँ से बाएँ या बाएँ से दाएँ घुमाना।

टिल्ट अप : कैमरे को स्टैंड पर रखे हुए नीचे से ऊपर करना।

टिल्ट डाउन : कैमरे को स्टैंड पर रखे हुए ऊपर से नीचे करना।

जूम : कैमरे में लगने वाला एक प्रकार का लेंस।

जूम इन : दृश्य का क्लोज अप लेना।

जूम आउट : वृहत रूप से शॉट लेना

कैमरा रिहर्सल : कैमरा पूर्वाभ्यास

कैप्शन : चित्रानुसार लिखी सूचनाएँ।

कास्ट : फिल्म या टीवी कार्यक्रम में कार्य करने वाले मुख्य कलाकारों की सूची।

चीफ एसिस्टेंट डायरेक्टर : मुख्य सहायक निर्देशक।

क्लोज अप : सिर से गरदन तक का शॉट

कमेंट्री : आँखों देखा विवरण देना।

कन्टीन्युटी : निरंतरता।

टेक्नीकल कन्टीन्युटी : तकनीकी निरंतरता।

पिक्टोरियल कन्टीन्युटी : दृश्य निरंतरता

इनवायरमेंटल कन्टीन्युटी : पर्यावरणीय निरंतरता।

फिजिकल कन्टीन्युटी : भौतिक निरंतरता।

कन्टीन्युटी ऑफ टाइम, इवेंट एंड एक्शन ऑर परफारमेंस : समय, घटना और कार्य की निरंतरता।

रिलेशन कन्टीन्युटी : संबंध निरंतरता।

ऑडियो कन्टीन्युटी : ध्वनि निरंतरता।

डायलॉग कन्टीन्युटी : संवाद निरंतरता।

एटेन्शन कन्टीन्युटी : ध्यान निरंतरता।

क्रेन : एक विशेष प्रकार का यंत्र, जिस पर कैमरामैन ऊँचाई से और ऊपर की ओर जाता हुआ अथवा विपरीत दिशा में नीचे शॉट लेता है।

क्रावी : पर्दे पर ऊपर या नीचे से चलती हुई लिखित संदेश।

क्रेडिट : कार्यक्रम निर्माण में लगे व्यक्तियों के नाम की सूची को पर्दे पर दिखा श्रेय देना।

क्रॉस कट : विरोधी चेष्टाएँ दिखाना।

कट : एक शॉट से दूसरे शॉट में ले जाने के लिए निर्देशक द्वारा दिया गया निर्देश।

डी फोकस : एक दृश्य से दूसरे दृश्य में आने का एक तरीका।

डायरेक्टर : निर्देशक

आइडिया : विचार

डॉली : एक प्रकार की गाड़ी, जिस पर कैमरामैन शॉट लेते समय आगे-पीछे हो सकते हैं।

डॉकिंग एरिया : स्टूडियो के निकट का वह क्षेत्र जहाँ सेट की सामग्री रखी जाती है।

डबल एक्सपोज : एक अभिनेता का किसी फिल्म में दो अभिनय करना।

ड्रेस डिजाइनर : वेशभूषा सज्जाकार।

ड्राई रन : कैमरे व इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के बिना किए जाने वाला पूर्वाभ्यास।

डबिंग : किसी यंत्र के माध्यम से किसी एक भाषा के संवाद को दूसरी भाषा में बदलना।

एसेन्शिएल एरिया : घरेलू टीवी पर दिखने वाले चित्र का आकार।

इस्टेबलिशिंग शॉट : भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाने वाला शॉट।

फेड-इन : ध्वनि का मध्यम से तेज होना

फेड-आउट : ध्वनि का तेज से मध्यम गति में जाना।

फेवर : कैमरा केंद्रित कर बार-बार एक ही व्यक्ति या वस्तु को दिखाना।

फाइन चैनल : 'टेली सिने' (फिल्म) को एक-सा करने के लिए की गई प्रकाश व्यवस्था।

फ्लोर मैनेजर : मंच निर्देशक

फोल्ड बैक : पूर्व में रिकार्ड की गई ध्वनि को स्पीकर पर सुनाना।

फ्रेम : कैमरे के लेंस से देखकर दृश्य या इच्छित विषयों को केंद्र में लाना।

फ्रेमिंग : कैमरे के लेंस को देखकर दृश्य का फ्रेम बनाना।

हेड रूम : शॉट लेते समय सिर के ऊपर छोड़ा गया स्थान

गोबो : एक कोई ऐसा कट-आउट, जिसके माध्यम से कैमरे द्वारा शॉट लेकर विशेष प्रभाव उत्पन्न किया जा सके।

ग्राफिक्स डिजाइनर : आरेखिकी सज्जाकार

हाई एंगल : कैमरा द्वारा ऊँचाई से शॉट लेना

इंडोर शूटिंग : स्टूडियो के अंदर शूटिंग करना

लीट शीट : दर्शकों को भ्रम में डालने वाला शॉट

लाइब्रेरी शॉट : दृश्य स्टूडियो की लाइब्रेरी से कार्यक्रम निर्माण हेतु लिया गया शॉट।

लाइटिंग : प्रकाश व्यवस्था

स्क्रिप्ट राइटर : पटकथा लेखक

बेस लाइट : आधार प्रकाश

(नोट– ऐसे ही सैकड़ों शब्द अंग्रेजी के हैं, जिनका प्रयोग मीडियाकर्मी किया करते हैं)

टीवी खबरिया चैनलों की दुनिया असीमित है। इस क्षेत्र में नए-नए चमत्कार होने की संभावना है। मनुष्य अपनी सीमाओं से और आगे जाना चाहता है। महादेवी वर्मा ने तो पहले ही लिख दिया था कि 'तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूँ उस पार क्या है?' प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया हमारे घरों में ही आर-पार होती दिख रही है। नए तकनीक व बाजारी व्यवस्था ने पत्रकारों को उहापोह में डाल दिया है। नई तकनीक के साथ नए-नए

शब्द आ रहे हैं लेकिन सवाल यह उठता है कि इन शब्दों में संवेदनाएँ कहां से आएंगी? हिंदी के शब्द ही समाचारों में संवेदना डाल सकते हैं क्योंकि हिंदी का पत्रकार हर ख़बर में स्वयं को जीता है। अपनी रपट में वह अपना खून मिलाता है। भाषायी संवेदनशीलता कृत्रिम तंत्रों से कैसे आएगी? तकनीक के उपयोगी किंतु बोझिल शब्दों को हिंदी का धर्म ग्रहण करना होगा, तभी यह तकनीक और इसके शब्द अपने भारतीय अर्थों के साथ संस्कारित होकर गाँव तक पहुँचेंगे। ख़बरिया चैनलों में अंग्रेजी के बजाय हिंदी शब्दों का प्रयोग करें तो हिंदी की संवृद्धि होगी।

मीडिया की सांप्रतिक भाषा में जो शब्दावली और पदबंध इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं उनका तकनीकी और भाषायी विश्लेषण करने पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है और उसके शब्दकोश में प्रतिवर्ष दस हजार नए शब्दों को जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ हिंदी मीडिया और साहित्य का सारा का सारा कार्य–व्यापार सिर्फ दस हजार शब्दों में चल रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजी के अनेक शब्द लोचदार हैं जिसके कारण प्रचलित शब्दों के स्वरूप को परिवर्तित किए बिना भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अंग्रेजी इसलिए भी समृद्ध हो पाई क्योंकि उसे खूब प्रयोग में लाया जाता रहा है। संचार माध्यमों में भी अंग्रेजी अपनी लिपि, उच्चारण और वृहद् शब्दकोश के फलस्वरूप इस्तेमाल हो रही है ही साथ ही हिंदी की प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अंग्रेजी का संक्रमण निरंतर बढ़ रहा है। अंग्रेजी के जो शब्द स्वाभाविक तौर पर हिंदी में आ गए हैं उनका तो स्वागत किया जाना चाहिए किंतु जो जबरदस्ती या अकारण अंग्रजी के शब्द थोपे जा रहे हैं,

उसे किसी भी विचार या कोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

लेखक मीडिया की भाषायी चेतना पर शोध करने के उपरांत इस नतीजे पर पहुँचा कि कोई भी मीडियाकर्मी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 'विचलन' का आशय लेकर अपनी बात कह देता है लेकिन कभी-कभी भाषा ऐसे शब्दों को हमेशा के लिए अपने कोश में शामिल कर लेती है। अतएव कहा जा सकता है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबर की भाषा को अधिक बोधगम्य ओर भावपूर्ण बनाने के लिए तदनुरूप शब्द, शब्दबंध और शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए और आवश्यकता के अनुरूप कुछ शब्दों को नया रूप भी दिया जाना चाहिए। इसमें अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को लेने से भी हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। हिंदी की प्रकृति मेल-जोल की रही है। देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित करना हिंदी का स्वभाव है। यही कारण है कि इसने अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के अनेक शब्दों को अपने में मिलाया है, लेकिन उचित मात्रा में। पर आज अंग्रेजी, मीडिया के माध्यम से अपने पाँव जिस तीव्रता के साथ पसार रही है, वह चिंतनीय विषय है। क्योंकि मानवीय संस्कृति की सबसे मूल्यवान उपलब्धि भाषा है। हिंदी के नए व्यावसायिक लिबास में उसके मूल स्वभाव और गरिमा की रक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है।

▼▼▼

संदर्भ सूची :

1. शर्मा कुमुद, *समाचार बाजार की नैतिकता,* सामयिक बुक्स, नई दिल्ली- 110002

2. मोहन सुमित, *मीडिया लेखन,* वाणी प्रकाशन, 21ए, दरियागंज, नई दिल्ली- 110002
3. कश्यप डॉ. श्याम, कुमार मुकेश, *ख़बरें विस्तार से,* राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., 1बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली- 110002
4. चतुर्वेदी जगदीश्वर, *युद्ध, ग्लोबल संस्कृति और मीडिया,* अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि., 4697/3, 21ए, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली- 110002
5. कुलश्रेष्ठ डॉ. विजय, जैन डॉ. हंसा, *जनसंचार शोध प्रविधियाँ,* त्रिपोलिया बाजार, जयपुर-2
6. जैन रमेश, *जनसंचार एवं पत्रकारिता* खंड-1, मंगलदीप पब्लिकेशन्स, दुग्गड़ बिल्डिंग, एम. आई. रोड, जयपुर- 302001
7. प्रो. हरिमोहन, *सूचना प्रौद्योगिकी और जनमाध्यम,* तक्षशिला प्रकाशन, 23/4761, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली- 110002
8. डॉ. सुधीर शर्मा का अप्रकाशित आलेख (इंटरनेट और वेब पत्रकारिता की तकनीकी शब्दावली)

समाचार-पत्रों में भाषा का आधुनिकीकरण

डॉ. श्यामा सिंह

किसी भी भाषा के विकास में मानकीकरण और आधुनिकीकरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिकीकरण के कारण भाषा का प्रयोग क्षेत्र बढ़ता है और उस भाषा की प्रयोगक्षमता बढ़ जाती है। मानकीकरण और आधुनिकीकरण भाषा को विभिन्न प्रकार की विकास प्रक्रियाओं की ओर ले जाते हैं जिसके कारण भाषा की प्रयोजनमूलक क्षमता उसकी आंतरिक शक्ति के रूप में ज्ञान-विज्ञान के समस्त क्षेत्रों में फैल जाती है। आज के संदर्भ में आधुनिकीकरण का अर्थ अभिव्यक्तिपरक संस्कृति अर्थात धर्म, सौंदर्य जैसे विषयों का प्रगतिपरक संस्कृति अर्थात जनजीवन और आर्थिक क्षेत्र में प्रयोग है –

- जब मानक भाषा या अभिव्यक्तिपरक संस्कृति से जुड़ी भाषा, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरकर आधुनिक भाषा बनती है तब एक-एक शब्द के कई-कई अर्थ बन जाते हैं, जैसे 'चार्ज' शब्द का सेना, प्रशासन व व्यवसाय में अलग-अलग अर्थ है।

- भाषा में प्रचलित शब्दावली से नए-नए शब्द बन जाते हैं। जैसे विधि से विधान, वैधानिक, विधिक, अवैधानिक, विधायक इत्यादि।
- आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण समाचार-पत्रों में विशिष्ट लेखन व विशिष्ट प्रकार के अनुवाद भी छपने लगे हैं, जैसे महान लेखकों की जीवनी, विचार, विभिन्न तरह के वैज्ञानिक लेख व ज्ञानात्मक बातें।
- भाषा का विकास बिना शब्द भंडार की वृद्धि के नहीं हो सकता। इसमें विदेशी भाषाओं से आने वाले शब्द भी काफी सहायता पहुँचाते हैं। यह आदान-प्रदान की प्रक्रिया भाषाओं के विकास में सहायक है। यही कारण है कि हिंदी समाचार-पत्रों में भी अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को लिप्यंतरित करके प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कंप्यूटर के विकास के कारण अंग्रेजी के शब्द इनपुट डिवाइस, की बोर्ड, माउस, स्कैनर, मदर बोर्ड, सी.पी.यू., माइक्रोप्रोसेसर, मानीटर, प्रिंटर, डी.एम.पी. प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, सी.वी.टी., यू.पी.एस., हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डॉस, विंडोज, मेमोरी, रोम चिप, रैम, बिट, बाइट, कंप्यूटर कमांड जैसे अनेक शब्द केवल लिप्यंतरित होकर हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। हिंदी समाचार-पत्रों में सभी भाषाओं के कुछ न कुछ शब्द अवश्य हैं लेकिन अंग्रेजी के शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग में आ रहे हैं। वर्तमान में पढ़ा-लिखा वर्ग अंग्रेजी से प्रभावित है। अंग्रेजी शब्दों का ज्यादा महत्व और प्रयोग होने के कारण हिंदी भाषा के वाक्य का आधुनिक स्वरूप कोड मिश्रण के रूप में बोल-चाल की भाषा के साथ-साथ समाचार पत्रों में भी दिखाई देने लगा है, जैसे–

1. मीडिया का देसी मॉडल। *(राष्ट्रीय सहारा)*
2. रेडीमेड वस्त्र फैशन की दुनिया का बेहतरीन अवसर।
3. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में नेशनल इन्टीग्रेटेड एसोसिएशन का सम्मेलन शुरू। *(अमर उजाला)*
4. नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। *(रोजगार समाचार)*

यह प्रक्रिया बोधगम्य और स्वाभाविक है जिसे पाठक आसानी से समझ लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद समाचार-पत्रों में हिंदी का आधुनिकीकरण तीव्र गति से हुआ है। इससे हिंदी भाषा में तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है तथा समाचार-पत्रों में विज्ञान से साहित्य तक के सभी विषय सम्मिलित रहते हैं।

- समाचारों की शीर्ष पंक्ति काव्यात्मक रहती है, जैसे –
  1. चिट्ठी लिखी-लिखी जग मुआ *(अमर उजाला)*
  2. हरे पत्ते बेचने वालों की जिंदगी सूखी-टटाई सी *(अमर उजाला)*
  3. फिर भी नहीं बदली फिजाँ *(हिन्दुस्तान)*
- अनुवाद और लिप्यंतरण भाषा विकास के अंग हैं। विषयपरक शब्द, रूप, वाक्य चयन उसकी विशेषता हैं। इसी क्रम में अंग्रेजी शब्दों के हिंदीकृत रूप भी प्रयोग में आ रहे हैं, जैसे कॉलेज, फोटो इत्यादि ऐसे अंग्रेजी शब्द हैं जिनके हिंदी पर्याय होने पर भी अंग्रेजी शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है।
- अंग्रेजी के ऐसे शब्द जिनके हिंदी पर्याय नहीं हैं और वे मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कवरेज, स्टेडियम, रेजिमेंट।
- समाज का वास्तविक थर्मामीटर समाचार-पत्र हैं क्योंकि वे

वर्तमान तथा भविष्य में होने वाली बहुत दूर-दूर की घटनाओं का आभास देते हैं।

- इस आधुनिकीकरण के दौर में समाचार-पत्रों में हिंदी की ठेठ शब्दावली, जैसे भड़काऊ, धराया, अगुआई, कटुआई, भगवाकरण, झड़प, हुल्लड़पन, हथकंडा, बावेला, घपला जैसे शब्दों के भी प्रयोग हो रहे हैं।
- वर्तमान समाचार-पत्रों का झुकाव जनप्रचलित भाषा की ओर है जिसके कारण भी अंग्रेजी शब्दों का ज्यादा प्रयोग हो रहा है। विदेशों से प्राप्त समाचार अंग्रेजी में होते हैं जिसका हिंदी में अनुवाद होने के कारण हिंदी की वाक्य रचना, शब्दावली और व्याकरणिक प्रवृत्तियाँ अंग्रेजी से प्रभावित हो रही हैं–
  1. केवल पुरस्कारों से नहीं होगा संस्कृत का उद्धार *(अमर उजाला)*
  2. चिड़ियाघर की पहचान खो चुका है मच्छोदरी पार्क *(अमर उजाला)*
  3. अमरीका को चाहिए खुला बाजार *(हिन्दुस्तान)*
- अंग्रेजी में परोक्ष कथन और कर्मवाच्य का अधिक प्रयोग होता है। अंग्रेजी समाचारों का हिंदी में अनुवाद होने पर अंग्रेजी से प्रभावित होने के कारण द्वारा, लिए जाने, दिए जाने जैसे रूपों का अधिक प्रयोग होता है, जैसे– प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा, सरकार द्वारा निर्णय लिया गया।
- समाचार-पत्र नीरस प्रसंगों में भी काव्यात्मक शैली का प्रयोग कर पाठकों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं जबकि संपादकीय समाचार की भाषा शिष्ट रहती है। भाषा का विकास परिवर्तनों पर निर्भर रहता है और उनसे ही यह

विकसित होता है। जब नई घटनाएँ, नए अनुसंधान, विकास की नई परिस्थितियाँ, युद्ध, क्रांति, आंदोलन आदि के नए-नए रूप उपस्थित होते हैं तब उसे व्यक्त करने के लिए नई शब्दावली की आवश्यकता होती है। समाचार-पत्रों में इसकी आवश्यकता सबसे अधिक होती है। समाचार-पत्रों द्वारा भाषा का विकास दो तरह से होता है–

1. नए शब्दों की रचना करके
2. नए शब्दों का प्रचलन करके।

- समाचार-पत्र रोज ताजा परोसता है। भारतीयकरण, हिंदीकरण, हिंग्लिश जैसे शब्दों का प्रसार-प्रचार करने वाले समाचार-पत्र ही हैं। कुछ अंग्रेजी शब्दों में हिंदी प्रत्यय जोड़कर शब्द बना दिए जाते हैं, जैसे –ब्लैकिए, ब्लैक मार्केटिए, फोनियाया, गैंगवार, सूचना तकनीक, न्यूक्लीयक्षेत्र, कलक्टर, कलस्टरी, जजी इत्यादि।
- सादृश्यता के आधार पर भी नए शब्द बना लिए जाते हैं, जैसे –

शरणार्थी	–	प्रत्यर्पणार्थी
सिंडिकेट	–	इंडीकेट
कोल्ड ड्रिंक	–	हार्ड ड्रिंक
प्री-पेड	–	पोस्ट-पेड
मार्कशीट	–	चार्जशीट

- कुछ अंग्रेजी शब्दों का हिंदीकरण हो गया है, जैसे –

किरोसीन	–	किरासन
क्विंटल	–	कुंतल

- खेलकूद और सौंदर्य प्रसाधनों के सभी नाम अंग्रेजी में हैं क्योंकि इनके हिंदी विकल्प कम हैं या नहीं हैं।

- स्वतंत्रता के बाद हिंदी के विकास और आधुनिकीकरण का श्रेय समाचार-पत्रों को है। भाषा विज्ञान की भाषा में अब समाचार-पत्रों में विभिन्न तरह के शब्द, जैसे रजिस्टर, फिल्म, नए आविष्कार, व्यापार, क्षेत्रीय खबर, प्रादेशिक समाचार राष्ट्रीय स्तर के समाचार, सभी प्रकाशित होते हैं जिसके कारण वैज्ञानिक, राजनैतिक और तकनीकी शब्दों का निर्माण व विकास हो रहा है। वर्तमान काल संक्रमण काल है। कुछ समय बाद फिर भाषा परिवर्तित रूप में दिखाई देने लगेगी क्योंकि भाषा में परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है जिससे भाषा की जीवंतता बनी रहती है।

▼▼▼

2857 HRD/11—6A

2857 HRD/11—6B

विविध स्तंभ

इस अंक के लेखक

डॉ. कृष्णानंद त्रिपाठी,
वरिष्ठ प्रवक्ता–वाणिज्य (व्यवसाय प्रशासन विभाग)
पी.सी. बागला पी.जी. कॉलेज, हाथरस,
महामायानगर, उ.प्र.

डॉ. एन. के. सेठी, प्राचार्य,
महिला महाविद्यालय,
बांदीकुई (दौसा), राजस्थान

डॉ. अचलानंद जखमोला,
290/11 वसंत विहार, देहरादून- 248006
उत्तराखंड

डॉ. आर.पी. पाठक,
एसोसिएट प्रोफेसर (शिक्षा विभाग),
श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (मानित वि.वि.),
नई दिल्ली- 110016

डॉ. जे. एल. अग्रवाल,
प्रोफेसर एवं हेड फिजीयोलॉजी, एस.आई.एम.एस.,
हापुड़, गाजियाबाद

अमित कुमार विश्वास,
पीएच. डी., शोधार्थी (जनसंचार विभाग),
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
वर्धा- 442001 (महाराष्ट्र)

डॉ. श्यामा सिंह,
एन–3/65-72-5 कर्माजतिपुर, सुंदरपुर,
वाराणसी, उ.प्र.

प्राप्ति स्वीकार (पत्रिकाएँ)

1. **नया ज्ञानोदय** – फरवरी 10
   संपादक : रवींद्र कालिया
   प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ
   18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड,
   पो. बॉ. नं. 3113, नई दिल्ली- 3
2. **परिचय** – मई–जुलाई 09
   संपादक : सुदर्शन तराई
   नेशनल एल्यूमिनियम कं. लि.,
   नाल्को भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर
3. **विज्ञान प्रगति** – फरवरी 10
   संपादक : प्रदीप शर्मा
   राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना
   स्रोत संस्थान (सी.एस.आई.आर)
   डॉ. एस. के. कृष्णनन मार्ग, नई दिल्ली-12
4. **वार्ता वाहक** – फरवरी 10
   संपादक : डॉ. ब्रज सुंदर पाढी,
   हिंदी शिक्षा समिति ओडिशा,
   शंकरपुर, अरुणोदय मार्केट,
   कटक- 753012 (ओड़िशा)
5. **लट चम** – जनवरी 10
   प्रधान संपादक : एस. खंमैदुन कबुई
   नगा हिंदी विद्यापीठ,
   मिनुभोड, इंफाल- 795001 (मणिपुर)
6. **राष्ट्रभाषा** – फरवरी 10
   संपादक : डॉ. अनंतराम त्रिपाठी
   राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदी नगर,
   वर्धा- 442003 (महाराष्ट्र)

7. अमृत कुंभ
संपादक : ब्र. कु. शिवाजी चौधरी — जनवरी 2010
प्रजापिता ब्रह्मकुमारिज, ए-10,
वर्षा अपार्टमेंट, छत्रपति शिवाजी
सोसा. कोपरी कॉलोनी, ठाणे (पूर्व)- 400603

8. चेतना — 2008-09
संपादक : प्रा. शिवाजीराव देवढ़े
(पारनेर तालुका विशेषांक)
न्यू आर्ट्स, कॉर्मस एंड साइंस कॉलेज
तो. परनैर, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र

10. हंसा — 2009-10
संपादक : अरुण कुमार झा
गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापन,
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन,
रक्षा मंत्रालय, सी.वी. रामन नगर,
बेंगलूरू- 560093

11. अभिनव — अक्टूबर-दिसंबर 09
संपादक : डॉ. वेदप्रकाश अमिताभ
डी–131, रमेश विहार,
ज्ञान सरोवर, अलीगढ़- 202001

12. दर्पण — सितंबर 2009
प्रधान संपादक : रफीकुल हक
हिंदी विभाग, पांडु कालेज,
गुवाहाटी- 781012 (असम)

13. नांदीकार — सितंबर 2009
डॉ. शैलेष टिवाणी
'प्रेम मंगल', जी-189, शास्त्रीनगर
नानाभावा रोड, राजकोट (प.)- 1

पुस्तकें

1. लोक भाषा — प्रथम संस्करण 2009
लेखक : डॉ. कैलाशचंद्र भाटिया
प्रकाशक : कुसुम प्रकाशन
186, इंजीनियर्स कालोनी,
अलीगढ़ - 202001 (उ.प्र.)

2. पोल खोल (अविस्मरणीय प्रसंग)
लेखक : उमेश चौबे
प्रकाशन : प्रखर प्रकाशन,
काटन मार्केट, नागपुर

3. फुग्गानु झाड (गुजराती कथा संग्रह)
कवि : हसमुख गोवाणी
प्रकाशक : ओम प्रकाशन धांग्रधा,
सुरेंद्रनगर, गुजरात

4. जयपूरिया कलिता समाज में प्रचलित कालीपूजा – एक लोक सांस्कृतिक अध्ययन — प्रथम संस्करण
लेखक : श्री उमेश दास
प्रकाशक : असमिया विभाग, पांडु कालेज,
पांडु, गुवाहाटी - 781012

आयोग द्वारा अनुमोदित

विभागीय शब्दावली

D

Defence Procurement & Disposal Liaisoning Cell	रक्षा प्रापण और निपटान संपर्क कक्ष
Defence Production Department	रक्षा उत्पादन विभाग
Defence Production Organisation	रक्षा उत्पादन संगठन
Defence Research And Development Council	रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद्
Defence Science Centre	रक्षा विज्ञान केंद्र
Defence Science Laboratory	रक्षा-विज्ञान प्रयोगशाला
Defence Scientific Information And Documentation Centre	रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रलेखन केंद्र
Defence Services Liaison Cell	रक्षा सेवा संपर्क प्रकोष्ठ
Defence Service Staff College	रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज
Defence Studies Department	रक्षा अध्ययन विभाग
Defence Research And Development Organisation	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
Delhi Agricultural Marketing Board	दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड
Delhi Development Authority	दिल्ली विकास प्राधिकरण
Delhi District Court	दिल्ली जिला न्यायालय
Delhi Milk Scheme	दिल्ली दुग्ध योजना
Delhi Subordinated Services Selection Board	दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड
Delhi Transport Corporation	दिल्ली परिवहन निगम
Delhi Vidyut Board	दिल्ली विद्युत बोर्ड
Department Of Administrative Reforms & Public Grievances	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
Department Of Agricultural Researh And Education	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

Department Of Agriculture And Co-Operation	कृषि और सहकारिता विभाग
Department Of Animal Husbandry And Dairying	पशुपालन एवं डेयरी विभाग
Department Of Atomic Energy	परमाणु ऊर्जा विभाग
Department Of Biotechnology	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
Department Of Cabinet Affairs	मंत्रिमंडल-कार्य विभाग
Department Of Chemicals And Petrochemicals	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग
Department Of Coal	कोयला विभाग
Department Of Commerce	वाणिज्य विभाग
Department Of Company Affairs	कंपनी कार्य विभाग
Department Of Culture	संस्कृति विभाग
Department Of Economic Affairs	आर्थिक कार्य विभाग
Department Of Education	शिक्षा विभाग
Department Of Expenditure	व्यय विभाग
Department Of Explosives	विस्फोटक विभाग
Department Of Family Welfare	परिवार कल्याण विभाग
Department Of Fertilizers	उर्वरक विभाग
Department Of Food & Public Distribution	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
Department Of Health	स्वास्थ्य विभाग
Department Of Heavy Industry	भारी उद्योग विभाग
Department Of Home	गृह विभाग
Department Of Indian Systems Of Medicines & Homeopathy	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग
Department Of Industrial Development	औद्योगिक विकास विभाग

Department Of Industrial Policy & Promotion	औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग
Department Of Information and Broadcasting	सूचना और प्रसारण विभाग
Department Of Information Technology	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
Department Of Internal Security	आंतरिक सुरक्षा विभाग
Department Of Justice	न्याय विभाग
Department Of Legal Affairs	विधि कार्य विभाग
Department Of Mines	खान विभाग
Department Of Ocean Development	महासागर विकास विभाग
Department Of Official Language	राजभाषा विभाग
Department Of Personnel & Training	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
Department Of Posts	डाक विभाग
Department Of Programme Implementation	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
Department Of Public Enterprises	सार्वजनिक उद्यम विभाग (लोक उद्यम विभाग)
Department Of Revenue	राजस्व विभाग
Department Of Science & Technology	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
Department Of Scientific & Industrial Research	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास विभाग
Department Of Secondary Education & Higher Education	माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग
Department Of Space	अंतरिक्ष विभाग
Department Of States	राज्य विभाग
Department Of Statistics	सांख्यिकी विभाग
Department Of Supply	पूर्ति विभाग

Department Of Telecommunications	दूरसंचार विभाग
Department Of Tourism	पर्यटन विभाग
Department Of Women And Child Development	महिला और बाल विकास विभाग
Dermatology Department	त्वचाविज्ञान विभाग
Destitutes Home	निराश्रित गृह
Development Block	विकास खंड
Development Board	विकास बोर्ड
Diabetic Clinic	मधुमेह निदानालय
Directorate For The Welfare Of S.C. & S.T.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय
Directorate General	महानिदेशालय
Directorate General of Anti Evasion	अपवंचन निरोध महानिदेशालय
Directorate General Of Border Roads	सीमा-सड़क महानिदेशालय
Directorate General Of Civil Defence	सिविल रक्षा महानिदेशालय
Directorate General Of Commercial Intelligence And Statistics	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय
Directorate General Of Doordarshan	दूरदर्शन महानिदेशालय
Directorate General Of Employment & Training	रोज़गार और प्रशिक्षण महानिदेशालय
Directorate General Of Foreign Trade	विदेश व्यापार महानिदेशालय
Directorate General Of Health Services	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
Directorate General Of Lighthouses & Lightships	लाइटहाउसेज और लाइटशिप्स महानिदेशालय
Directorate General Of Mines Security	खान सुरक्षा महानिदेशालय
Directorate General Of Shipping	नौवहन महानिदेशालय
Directorate General Of Supplies And Disposals	पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

Directorate General Of Technical Development	तकनीकी विकास महानिदेशालय
Directorate Of Income Tax (O & M)	आयकर (संगठन और पद्धति) निदेशालय
Directorate Of Audit Education	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय
Directorate Of Advertising & Visual Publicity	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय
Directorate Of Armament	आयुध निदेशालय
Directorate Of Audit	लेखा-परीक्षा निदेशालय
Directorate Of Civil Defence	नागरिक रक्षा निदेशालय
Directorate Of Commercial Publicity	वाणिज्य प्रचार निदेशालय
Directorate Of Coordination	समन्वय निदेशालय
Directorate Of Education	शिक्षा निदेशालय
Directorate Of Electronics	इलेक्ट्रॉनिकी निदेशालय
Directorate Of Enforcement	प्रवर्तन निदेशालय
Directorate Of Engineering	इंजीनियरी निदेशालय
Directorate Of Estates	संपदा निदेशालय
Directorate Of Excise And Customs, Central Statistics And Intelligence	उत्पाद तथा सीमा शुल्क, केंद्रीय सांख्यिकी और आसूचना निदेशालय
Directorate Of Exhibitions	प्रदर्शनी निदेशालय
Directorate Of Family Welfare	परिवार कल्याण निदेशालय
Directorate Of Field Publicity	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय
Directorate Of Film Festivals	चलचित्र समारोह निदेशालय
Directorate Of Industries	उद्योग निदेशालय
Directorate Of Information & Publicity	सूचना एवं प्रचार निदेशालय
Directorate Of Inspection (Customs And Central Excise)	निरीक्षण निदेशालय (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क)

Directorate Of National Cadet Corps	राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय
Directorate Of National Sample Survey	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय
Directorate Of Plant Protection, Quarantine And Storage	वनस्पति-संरक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय
Directorate Of Preventive Operations	निवारक संक्रिया निदेशालय
Directorate Of Printing	मुद्रण निदेशालय
Directorate Of Production And Inspection (Electronics)	उत्पादन और निरीक्षण निदेशालय (इलेक्ट्रॉनिकी)
Directorate Of Psychological Research	मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निदेशालय
Directorate Of Public Grievances	लोक शिकायत निदेशालय
Directorate Of Research	अनुसंधान निदेशालय
Directorate Of Revenue Intelligence	राजस्व-आसूचना निदेशालय
Directorate Of Standardisation	मानकीकरण निदेशालय
Directorate Of Statistics	सांख्यिकी निदेशालय
Directorate Of Stores Production (Navy)	सामग्री उत्पादन निदेशालय (नौसेना)
Directorate Of Sugar And Vanaspati	चीनी और वनस्पति निदेशालय
Directorate Of Sugar Cane Development	गन्ना विकास निदेशालय
Directorate Of Technical Development And Production (Air)	तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (हवाई)
Directorate Of Transport Research	परिवहन अनुसंधान निदेशालय
Directorate Of Vegetable Oils And Fats	वनस्पति तेल और वसा निदेशालय
District Development Board	जिला विकास बोर्ड
District Judge	जिला न्यायाधीश
District Magistrate	जिला मजिस्ट्रेट

District Rural Development Agency	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
Divisional Development Council	प्रभागीय विकास परिषद्
Dock Safety Inspectorate	गोदी-संरक्षा निरीक्षणालय
Drama Section	नाट्य अनुभाग
Dressing Room	मरहम-पट्टी कक्ष

E

Economic And Social Commission For Asia & Pacific	एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक आयोग
Economic And Social Council Of India	भारतीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्
Economic And Statistical Directorate	आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय
Efficiency Bureau	कार्यकुशलता ब्यूरो
Election Commission	निर्वाचन आयोग
Election Tribunal	निर्वाचन अधिकरण
Electrical Works Division	बिजली कार्य प्रभाग
Electronic Data Processing Centre	इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग केंद्र
Electronics Corporation of India Ltd.	भारतीय इलेक्ट्रॉनिक निगम लि.
Embassy	राजदूतावास
Emergency Commission	आपात आयोग, आपात कमीशन
Emergency Department	आपात विभाग
Emergency Production Committee	आपात उत्पादन समिति
Emergency Relief Organisation	आपात सहायता संगठन
Employee's Provident Fund Organisation	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employee's State Insurance Corporation	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employment Exchange	रोज़गार कार्यालय
Energy Development Agency	ऊर्जा विकास अभिकरण
English Feature Unit	अंग्रेज़ी रूपक एकक
English Talks Section	अंग्रेजी वार्ता अनुभाग
English Unit	अंग्रेजी एकक
Enquiry Commission	जाँच आयोग
Environmental Biology Department	पर्यावरण जीवविज्ञान विभाग
Estate Department	संपदा विभाग
Estimates Committee	प्राक्कलन समिति
Evacuee Property Department	निष्क्रांत संपत्ति विभाग
Export Credit And Guarantee Corporation	निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम
Export Import Bank (Exim Bank)	निर्यात-आयात बैंक
Export Inspection Council Of India	भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद्
Export Promotion Council	निर्यात संवर्धन परिषद्
Export Risk Insurance Corporation	निर्यात जोखिम बीमा निगम
External Relations Division	विदेश संबंध प्रभाग
External Services Division	विदेश सेवा प्रभाग

F

Family Planning Centre	परिवार नियोजन केंद्र
Farakka Barrage Control Board	फ़रक्का बाँध नियंत्रण बोर्ड
Feature Section	रूपक अनुभाग
Federation Of Insurance Institute	बीमा-संस्थान परिसंघ

2857/HR/11-7

Female Ward	महिला वार्ड
Fertilizer Association Of India	भारतीय उर्वरक संघ
Fertilizer Corporation Of India	भारतीय उर्वरक निगम
Fertilizer Division	उर्वरक प्रभाग
Fertilizer Industry Co-Ordination Committee	उर्वरक उद्योग समन्वय समिति
Field Research Station	क्षेत्र अनुसंधान केंद्र
Film and Television Institute Of India	भारतीय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान
Films Division	फ़िल्म प्रभाग
Finance Administration	वित्त प्रशासन
Finance Commission	वित्त आयोग
Finance Committee	वित्त समिति
Fine Arts And Music Department	ललित कला और संगीत विभाग
Fire Services Training School	अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण विद्यालय
First Aid Centre	प्रथम उपचार केंद्र
Flood Control Wing	बाढ़ नियंत्रण स्कंध
Flood Investigation Division	बाढ़ अन्वेषण प्रभाग
Food And Agriculture Division	खाद्य और कृषि प्रभाग
Food And Nutrition Board	खाद्य और पोषण बोर्ड
Food Corporation Of India	भारतीय खाद्य निगम
Food Fermentation And Forest Products Department	खाद्य-किण्वन और वन उपज विभाग
Food Fermentation Department	खाद्य-किण्वन विभाग
Foodgrains Production Drive Department	खाद्य-उत्पादन अभियान विभाग

Foreign Exchange Regulation Appellate Board	विदेशी मुद्रा विनिमयन अपीली बोर्ड
Foreign Tourist Organisation	विदेशी पर्यटक संगठन
Forensic Medicine Department	न्याय आयुर्विज्ञान विभाग
Forensic Science Laboratory	न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला
Forest Guard's School	वनरक्षक विद्यालय
Forest Product Department	वन उपज विभाग
French Unit	फ्रांसीसी एकक

G

Ganga Basin Water Resources Organisation	गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन
Gas Authority Of India Limited	भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड
General Insurance Corporation	सामान्य बीमा निगम
General Post Office	प्रधान डाकघर
Geological Survey Of India	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
Government Of India Concern	भारत सरकार का प्रतिष्ठान
Government Of India Press	भारत सरकार का मुद्रणालय
Government Of India Undertaking	भारत सरकार का उपक्रम
Government Poultry Farm	सरकारी कुक्कट पालन फार्म
Grain Storage, Research And Training Centre	अनाज भंडारण, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र
Gramophone Record Library	ग्रामोफ़ोन रिकार्ड पुस्तकालय

H

Haematology And Nuclear Machine Department	रुधिर विज्ञान और न्यूक्लीय चिकित्सा विभाग

Head Office	प्रधान कार्यालय
Head Of Government	शासनाध्यक्ष
Head Quarters	मुख्यालय
Heavy Engineering Division	भारी इंजीनियरी प्रभाग
High Commission	उच्चायोग, हाई कमीशन
High Commissioner	उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर
High Court	उच्च न्यायालय
High Power Transmitter Doordarshan Kendra	उच्च विद्युत शक्ति संचालित दूरदर्शन केंद्र

I

Indian Institute Of Mass Communication	भारतीय जन-संचार संस्थान
Indian Institute Of Petroleum	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान
Indian Institute Of Public Administration	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
Indian Institute Of Pulses Research	राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान
Indian Institute Of Technology	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
Indian Investment Centre	भारतीय निवेश केंद्र
Indian Military Academy	भारतीय सैनिक अकादमी
Indian Music Section	भारतीय संगीत अनुभाग
Indian National Document Protection Centre	भारतीय राष्ट्रीय प्रलेख संरक्षण केंद्र
Indian Police Service	भारतीय पुलिस सेवा
Indian Space Research Organisation	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
Indian Standards Institution	भारतीय मानक संस्था

Indian Tourism Development Corporation	भारतीय पर्यटन विकास निगम
India Supply Mission	भारत पूर्ति मिशन
India Trade Promotion Organisation	भारत व्यापार उन्नयन संगठन
Indigenous Medicine Department	देशी औषध विभाग
Indira Gandhi International Airport	इंदिरा गाँधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन
Indonesia Unit	इन्डोनेशियाई एकक
Indoor Patient Department	अंतरंग रोगी विभाग
Indo-Tibetan Border Police	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
Industrial And Technological Museum	औद्योगिक और शिल्पविज्ञानीय संग्रहालय
Industrial Development Bank Of India (IDBI)	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
Industrial Extension Centre	उद्योग-विस्तार केंद्र
Industrial Finance Corporation Of India	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
Industrial Reconstruction Corporation Of India	भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम
Industry And Supply Division	उद्योग और पूर्ति प्रभाग
Infectious Disease Hospital	संक्रामक रोग अस्पताल
Information Retrieval (Junior Scientist)	सूचना उपयोजन (कनिष्ठ वैज्ञानिक)
Information Services Of India	भारतीय सूचना सेवा
Inland Water Transport Directorate	अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय
Inland Waterways Authority Of India	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
Inspectorate	निरीक्षणालय

2857 HRD/11—8A

Inspectorate Of Armaments	आयुध निरीक्षणालय
Inspectorate Of Engineering Equipments	इंजीनियरी उपस्कर निरीक्षणालय
Institute For The Physically Handicapped	विकलांग-जन संस्थान
Institute Of Criminology And Forensic Science	अपराध एवं न्यायालयिक विज्ञान संस्थान
Institute of Nuclear Medicine And Allied Sciences	न्यूक्लीक औषधि तथा संबद्ध संस्थान
Institute Of Physiology	शरीरक्रिया-विज्ञान संस्थान
Institute Of Secretariat (e) Training And Management	सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान
Insurance Division	बीमा प्रभाग
Integrated Forestry School	समाकलित वन विद्यालय
Intensive Care Unit	गहन देखभाल एकक
International Airport Authority Of India	भारतीय अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण
International Monetary Fund	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
Inter State Transport Commission	अंतरराष्ट्रीय परिवहन आयोग
Inventions Promotion Board	आविष्कार-संवर्धन बोर्ड
Investigation and Vigilance Division	अन्वेषण और सतर्कता प्रभाग
Irrigation and Flood Control Wing	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण स्कंध

J

Jawahar Lal Institute Of Post Graduate Medical Education & Research	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान
Joint Cipher Bureau	संयुक्त बीजलेख ब्यूरो

2857 HRD/11—8B

Joint Parliamentary Committee	संयुक्त संसदीय समिति
Junior Training College	अवर प्रशिक्षण महाविद्यालय, अवर प्रशिक्षण कॉलेज
Jute Corporation Of India (JCI)	भारतीय जूट निगम
Juvenile Court	किशोर न्यायालय

K

Khadi And Village Industries Commission	खादी और ग्रामोद्योग आयोग

L

Land And Development Office	भूमि और विकास कार्यालय
Land Hirings And Disposal Directorate	भूमि भाड़ा और निपटान निदेशालय
Language Division	भाषा प्रभाग
Laser Science And Technology Centre	लेजर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केंद्र
Law Commission	विधि आयोग
Legation	दूतावास
Legation Of India	भारतीय दूतावास
Legislative Assembly	विधान सभा
Legislative Council	विधान परिषद
Legislative Department	विधायी विभाग
Lieutenant Governor's Secretariate	उप-राज्यपाल सचिवालय
Life Insurance Corporation Of India	भारतीय जीवन बीमा निगम
Listeners Research Department	श्रोता अनुसंधान विभाग
Live Stock Research Station	पशुधन अनुसंधान केंद्र
Loco Training School	लोको प्रशिक्षण विद्यालय

प्रोफार्मा

(आयोग के कार्यक्रमों में सहयोजित होने के लिए आत्मवृत्त भेजने हेतु)

1. **नाम :** _____
2. **पदनाम :** _____
3. **पता : कार्यालय :** _____
   निवास : _____
   _____
4. **संपर्क नं. टेलीफोन/मोबाइल/ई-मेल** _____
5. **शैक्षिक अर्हता** _____
6. **विषय-विशेषज्ञता** _____
7. **भाषाओं का ज्ञान जिन्हें पढ़-लिख सकते हैं** _____
8. **शिक्षण का अनुभव** _____

*9. **शोध कार्य का अनुभव** _____

*10. **शब्दावली निर्माण का अनुभव** _____

*11. **शिक्षा माध्यम के रूप में हिंदी/क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण का अनुभव** _____

मैं आयोग से सहयोजित होना चाहता हूँ (टिक लगाएँ)

☐ शब्दावली निर्माण सत्रों में विशेषज्ञ के रूप में

☐ आयोग के कार्यक्रमों में संसाधक के रूप में

☐ ज्ञान गरिमा सिंधु/विज्ञान गरिमा सिंधु में प्रकाश्य लेख के लेखक के रूप में या पाठ-संग्रह (मोनोग्राफ)/चयनिका के लेखक के रूप में

  ☐ पांडुलिपि संलग्न है

  ☐ अधिक जानकारी उपलब्ध कराएँ

☐ ज्ञान गरिमा सिंधु/विज्ञान गरिमा सिंधु पत्रिका का ग्राहक बनकर

  ☐ ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर संलग्न है

  ☐ अधिक जानकारी उपलब्ध कराएँ

हस्ताक्षर

* जहाँ लागू हो

पत्रिका की सदस्यता हेतु ग्राहक फार्म

व्यक्ति/संस्थाएँ या छात्र निम्नलिखित फार्मेट में अभिदान के लिए आवेदन कर सकते हैं :–

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... इस स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय के ..... विभाग में वास्तविक छात्र/छात्रा हैं।

हस्ताक्षर

(प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष)

अभिदान फार्म

अध्यक्ष,
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
पश्चिमी खंड–7, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–110066
महोदय,

मैं, अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली के नाम नई दिल्ली में ..... बैंक के खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट नं. ..... दिनांक ..... द्वारा त्रैमासिक पत्रिका 'ज्ञान गरिमा सिंधु/विज्ञान गरिमा सिंधु' के लिए वार्षिक अभिदान के रु. ..... भेज रहा हूँ/रही हूँ।

(हस्ताक्षर)

टिप्पणीः खाते में देय ड्राफ्ट अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, आयोग, नई दिल्ली के नाम नई दिल्ली के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए बनवाया जा सकता है।

कृपया डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम और पता लिखें।

अभिदान से संबंधित पत्र-व्यवहार

अभिदान से संबंधित समस्त पत्र-व्यवहार निम्नलिखित के साथ किया जाए : वैज्ञानिक अधिकारी, बिक्री एकक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, पश्चिमी खंड-7, आर. के. पुरम्, नई दिल्ली- 110066 फोन नं. (011) 261025211 एक्स. 246 फैक्स नं. (011) 26101220	पत्रिकाएँ वैज्ञानिक अधिकारी, बिक्री एकक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग या निम्नलिखित अधिकारी से खरीद कर प्राप्त की जा सकती हैं : प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन प्रभाग, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली– 110054

लेखकों हेतु अनुदेश

'ज्ञान गरिमा सिंधु' एक त्रैमासिक पत्रिका है जिसमें मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विषयों से संबंधित लेख प्रकाशित होते हैं। इस पत्रिका का उद्देश्य हिंदी में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों से संबद्ध उपयोगी एवं नवीनतम मूल पाठप्रधान तथा पूरक साहित्य को लोकप्रिय बनाना है। यह पत्रिका मिले-जुले प्रकार की है जिसमें तकनीकी लेख, शोध लेख, तकनीकी निबंध, मॉडल शब्दावलियाँ तथा परिभाषा-कोश, कविताएँ और मानविकी से संबंधित कहानियाँ, सामाजिक विज्ञान, व्यंग्य चित्र, तकनीकी सूचना, तकनीकी समाचार, पुस्तक समीक्षा आदि से संबंधित सामग्री प्रकाशित की जाती है।

अनुदेश

(i) पत्रिका के लिए भेजी गई पांडुलिपियाँ/लेख मूल रूप में होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जो पहले प्रकाशित नहीं हुए हों।

(ii) लेखकों को सलाह दी जाती है कि वे सामयिक विषयों/मुद्दों पर लेख भेजें।

(iii) लेख सरल और बोधगम्य भाषा में होने चाहिए।

(iv) लेख में अधिक से अधिक 4000 शब्द होने चाहिए।

(v) लेख A-4 आकार के कागज पर एक तरफ डबल स्पेस में सफाई से टंकित किया गया होना चाहिए और दोनों तरफ पर्याप्त हाशिए छोड़े गए होने चाहिए।

(vi) लेख का सार-संक्षेप भी इसके साथ अवश्य भेजा जाना चाहिए।

(vii) लेखों में आयोग द्वारा निर्मित/परिभाषित किए गए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(viii) यदि आवश्यक हो तो लेख में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों के अंग्रेजी पर्यायों को कोष्ठकों में दिया जा सकता है।

(ix) रंगीन और श्वेत-श्याम फोटोग्राफ स्वीकार किए जाते हैं। प्रस्तुत किए गए रेखाचित्र सफेद कागज पर ब्लैक इंडिया इंक से तैयार किए जाने चाहिए।

(x) किसी लेख का प्रकाशित किया जाना संपादक के विवेक पर होगा और इस संबंध में उसके निर्णय को अंतिम माना जाएगा।

(xi) लेखों को स्वीकार किए जाने के संबंध में कोई भी पत्र-व्यवहार करने का प्रावधान नहीं है।

(xii) अस्वीकृत लेखों को वापस नहीं किया जाएगा। लेखकों को सलाह दी जाती है कि वे उनके लिए टिकट लगे लिफाफे न भेजें।

(xiii) समीक्षा के लिए पुस्तक की दो प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएँ। पुस्तकें तकनीकी लेखन एवं विषयों से संबंधित हों।

(xiv) प्रकाशित लेखों के लिए मानदेय की दर रु. 250/- प्रति 1000 शब्द है लेकिन उसकी न्यूनतम राशि रु. 150/-और अधिकतम राशि रु. 1000/- होगी।

(xv) सभी भुगतान पत्रिका के प्रकाशित होने के बाद किए जाते हैं। कृपया, पत्राचार के पते में अपनी मोबाइल सं. भी जरूर लिखें।

(xvi) लेखक अपने लेखों की दो प्रतियाँ संबंधित पत्रिका के संपादक को अग्रलिखित पते पर भेज सकते हैं

डॉ.पी.एन.शुक्ल
संपादक
'ज्ञान गरिमा सिंधु'
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
पश्चिमी खंड–7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली – 110066

अभिदान से संबंधित सूचना

ज्ञान गरिमा सिंधु/विज्ञान गरिमा सिंधु के सभी अंक पत्रिका के ग्राहकों को डाक द्वारा भेजे जाते हैं।

अभिदान दरें इस प्रकार हैं :

सदस्यता शुल्क	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा	
व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए प्रति कापी	रु. 14/–	पौंड 1.64	डालर 4.84
वार्षिक शुल्क	रु. 50/–	पौंड 5.83	डालर 18.00
छात्रों के लिए प्रति कापी	रु. 8/–	पौंड 0.93	डालर 10.80
वार्षिक शुल्क	रु. 30/–	पौंड 3.50	डालर 2.88

छात्र को संस्था के प्रधान द्वारा प्रदत्त इस आशय का निम्नलिखित प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करना चाहिए कि वह एक वास्तविक छात्र है।

आयोग के प्रकाशनों की सूची

शब्द-संग्रह

शीर्षक	मूल्य
बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह : विज्ञान खंड 1,2	174.00
बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह : विज्ञान खंड 1,2	150.00
बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह : विज्ञान (हिंदी-अंग्रेजी)	236.00
बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह : मानविकी और सामाजिक विज्ञान खंड 1,2	292.00
बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह : मानविकी और सामाजिक विज्ञान (हिंदी-अंग्रेजी)	350.00
बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह : कृषि विज्ञान	278.00
बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह : आयुर्विज्ञान, भेषज विज्ञान, शारीरिक नृविज्ञान	239.40
बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह : आयुर्विज्ञान, कृषि एवं इंजीनियरी (हिंदी-अंग्रेजी)	48.50
बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह : मुद्रण इंजीनियरी	48.00
बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह : इंजीनियरी (सिविल, विद्युत, यांत्रिक)	340.00
बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह : पशु चिकित्सा विज्ञान	82.00
बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह : प्राणि विज्ञान	311.00
भौतिकी	
भौतिक शब्द-संग्रह	119.00
अंतरिक्ष विज्ञान शब्दावली	45.00
इलेक्ट्रॉनिकी परिभाषा कोश	22.00
तरल यांत्रिकी परिभाषा कोश	10.00
भौतिकी परिभाषा कोश	700.00
गृह विज्ञान	
गृह विज्ञान शब्द-संग्रह	60.00
कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी	
कंप्यूटर विज्ञान शब्दावली	57.00
कंप्यूटर विज्ञान परिभाषा कोश	102.00

शीर्षक	मूल्य
सूचना प्रौद्योगिकी शब्द-संग्रह	231.00
रसायन	
रसायन शब्द-संग्रह	592.00
इस्पात एवं अलौह धातुकर्म शब्दावली	55.00
उच्चतर रसायन परिभाषा कोश	17.00
धातुकर्म परिभाषा कोश	278.00
रसायन (कार्बनिक) परिभाषा कोश	25.00
वाणिज्य	
वाणिज्य शब्दावली	259.00
पूंजी बाजार एवं संबद्ध शब्दावली	79.00
वाणिज्य परिभाषा कोश	24.70
रक्षा	
समेकित रक्षा शब्दावली	284.00
गुणता नियंत्रण	
गुणता नियंत्रण शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी तथा हिंदी-अंग्रेजी)	38.00
भाषा विज्ञान	
भाषा विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी तथा हिंदी-अंग्रेजी)	113.00
भाषा विज्ञान परिभाषा कोश खंड-1	89.00
भाषा विज्ञान परिभाषा कोश खंड-2	59.00
जीव विज्ञान	
कोशिका जैविकी शब्द-संग्रह	62.00
पर्यावरण विज्ञान शब्द-संग्रह	381.00
प्राणि विज्ञान परिभाषा कोश	216.00
सूक्ष्म जैविकी परिभाषा कोश	45.00
कोशिका जैविकी परिभाषा कोश	121.00
लोक प्रशासन	
लोक प्रशासन शब्दावली	52.00
गणित	
गणित शब्द-संग्रह	143.00
गणित परिभाषा कोश	203.00
सांख्यिकी परिभाषा कोश	18.00

शीर्षक	मूल्य
भूगोल	
भूगोल शब्द-संग्रह	200.00
भूगोल परिभाषा कोश	10.00
मानव भूगोल परिभाषा कोश	18.00
मानचित्र विज्ञान परिभाषा कोश	231.00
भूविज्ञान	
भूविज्ञान शब्द-संग्रह	88.00
सामान्य भूविज्ञान शब्दावली	101.00
आर्थिक भूविज्ञान शब्दावली	75.00
भूभौतिकी शब्दावली	67.00
शैल विज्ञान शब्दावली	82.00
खनिज विज्ञान शब्दावली	130.00
अनुप्रयुक्त भूविज्ञान शब्दावली	115.00
भूविज्ञान परिभाषा कोश	63.00
संरचनात्मक भूविज्ञान परिभाषा कोश	13.50
संरचनात्मक भूविज्ञान शब्दावली	73.00
शैलविज्ञान परिभाषा कोश	153.00
पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी परिभाषा कोश	173.00
खनन एवं भूविज्ञान शब्द-संग्रह	32.00
संरचनात्मक भूविज्ञान एवं विवर्तनिकी शब्द-संग्रह	15.00
जीवाश्म विज्ञान शब्दावली	129.00
कृषि	
रेशम विज्ञान शब्द-संग्रह	50.00
कृषि कीट विज्ञान परिभाषा कोश	75.00
सूत्रकृमि विज्ञान परिभाषा कोश	125.00
मृदा विज्ञान परिभाषा कोश	77.00
इंजीनियरी	
रासायनिक इंजीनियरी शब्द-संग्रह	51.00
विद्युत इंजीनियरी परिभाषा कोश	81.00
यांत्रिक इंजीनियरी परिभाषा कोश	94.00
सिविल इंजीनियरी परिभाषा कोश	61.00

शीर्षक	मूल्य
तरल यांत्रिकी परिभाषा कोश	10.00
वनस्पति विज्ञान	
वनस्पति विज्ञान शब्द-संग्रह	86.00
वनस्पति विज्ञान परिभाषा कोश (संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण)	75.00
पादप आनुवंशिकी परिभाषा कोश	75.00
पादप रोग विज्ञान परिभाषा कोश	75.00
पुरावनस्पति विज्ञान परिभाषा कोश	80.50
अनुप्रयुक्त विज्ञान	
प्राकृतिक विपदा शब्दावली	17.00
जलवायु विज्ञान शब्दावली	131.00
मनोविज्ञान	
मनोविज्ञान परिभाषा कोश	9.50
मनोविज्ञान शब्दावली	247.00
इतिहास	
इतिहास परिभाषा कोश	20.50
प्रशासन	
प्रशासन शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	20.00
प्रशासन शब्दावली (हिंदी-अंग्रेजी)	20.00
शिक्षा	
शिक्षा परिभाषा कोश खंड-1	13.50
शिक्षा परिभाषा कोश खंड-2	99.00
आयुर्विज्ञान	
आयुर्विज्ञान परिभाषा कोश (शल्य विज्ञान)	338.00
आयुर्विज्ञान के सामान्य शब्द एवं वाक्यांश (अंग्रेजी-तमिल-हिंदी)	279.00
समाज शास्त्र	
समाज कार्य परिभाषा कोश	16.25
समाज शास्त्र परिभाषा कोश	71.40
नृविज्ञान	
सांस्कृतिक नृविज्ञान परिभाषा कोश	24.00
दर्शनशास्त्र	
भारतीय दर्शन परिभाषा कोश खंड-1	151.00

शीर्षक	मूल्य
भारतीय दर्शन परिभाषा कोश खंड-2	124.00
भारतीय दर्शन परिभाषा कोश खंड-3	136.00
दर्शनशास्त्र परिभाषा कोश	198.00
पुस्तकालय विज्ञान	
पुस्तकालय विज्ञान परिभाषा कोश	49.00
पत्रकारिता	
पत्रकारिता परिभाषा कोश	87.50
पत्रकारिता एवं मुद्रण शब्दावली	12.25
पुरातत्व विज्ञान	
पुरातत्व विज्ञान परिभाषा कोश	509.00
कला	
पाश्चात्य संगीत परिभाषा कोश	28.55
राजनीति विज्ञान	
राजनीति विज्ञान परिभाषा कोश	343..00
प्रबंध विज्ञान	
प्रबंध विज्ञान परिभाषा कोश	170.00
अर्थशास्त्र	
अर्थशास्त्र परिभाषा कोश	117.00
अर्थमिति परिभाषा कोश	17.65
अन्य	
अंतरराष्ट्रीय विधि परिभाषा कोश	344.00
नाट्यशास्त्र, फिल्म एवं टेलीविजन परिभाषा कोश	202.00
नाट्यशास्त्र, फिल्म एवं टेलीविजन शब्दावली	75.00
इलेक्ट्रानिकी शब्दावली	349.00
अर्धचालक शब्दावली	140.00
वानिकी शब्द–संग्रह	447.00
संदर्भ–ग्रंथ	
ऐतिहासिक नगर	195.00
प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक नगर	109.00
समुद्री यात्राएँ	79.00
विश्व दर्शन	53.00
अपशिष्ट प्रबंधन	17.00
कोयला (एक परिचय)	294.00

शीर्षक	मूल्य
कोयला (एक परिचय) परिवर्धित संस्करण	425.00
रत्न विज्ञान (एक परिचय)	115.00
वाहितमल एवं आपंक : उपयोग एवं प्रबंधन	40.00
पर्यावरणीय प्रदूषण : नियंत्रण तथा प्रबंधन	23.25
भारत में भैंस उत्पादन एवं प्रबंधन	540.00
भारत में ऊसर भूमि एवं फसलोत्पादन	559.00
2 दूरीक एवं 2 मानकित समष्टियों में संपात एवं स्थिर बिंदु समीकरणों के साधन	68.00
भारत में प्याज एवं लहसुन की खेती	82.00
पशुओं से मनुष्यों में होने वाले रोग	60.00
ठोस पदार्थ यांत्रिकी	995.00
वैज्ञानिक शब्दावली : अनुवाद एवं मौलिक लेखन	34.00
मृदा उर्वरता	410.00
ऊर्जा संसाधन और संरक्षण	105.00
पशुओं के कवकीय रोग, उनका उपचार एवं नियंत्रण	93.00
पराज्यामितीय फलन	90.00
सामाजिक एवं प्रक्षेत्र वानिकी	54.00
विश्व के प्रमुख धर्म	118.00
सैन्य विज्ञान पाठ संग्रह	100.00
सूक्ष्म तरंग इंजीनियरी	470.00
लेटर प्रेस मुद्रण	270.00
लोहीय तथा अलोहीय धातु	68.00
बाल मनोविकास	58.00
समकालीन भारतीय दर्शन के कुछ मानववादी चिंतक : तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन	153.00
मैग्नेसाइट : एक भूवैज्ञानिक अध्ययन	214.00
मृदा एवं पादप पोषण	367.00
नलकूप एवं भौमजल अभियांत्रिकी	398.00
विश्व के प्रमुख धर्मों में धर्मसमभाव की अवधारणा : एक तुलनात्मक अध्ययन	490.00
पादपों में कीट प्रतिरोध और समेकित कीट प्रबंधन	367.00

शीर्षक	मूल्य
स्वतंत्रता पूर्व हिंदी में विज्ञान लेखन	176.00
भेड़-बकरियों के रोग एवं उनका नियंत्रण	343.00
भविष्य की आशा : हिंद महासागर	154.00
भारतीय कृषि का विकास	155.00
विकास मनोविज्ञान भाग-1	40.00
विकास मनोविज्ञान भाग-2	30.00
कृषिजन्य दुर्घटनाएँ	25.00
इलेक्ट्रॉनिक मापन	31.00
वनस्पति विज्ञान पाठमाला	16.00
इस्पात परिचय	146.00
जैव प्रौद्योगिकी : अनुसंधान एवं विकास	134.00
विश्व के प्रमुख दार्शनिक	433.00
प्राकृतिक खेती	167.00
हिंदी विज्ञान पत्रकारिता : कल, आज और कल	167.00
मानसून पवन : भारतीय जलवायु का आधार	112.36
हिंदी में स्वतंत्रता परवर्ती विज्ञान लेखन	280.00
पृथ्वी : उद्भव और विकास	86.00
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी	90.00
पृथ्वी से पुरातत्व	40.00
द्रवचालित मशीन	66.50

बिक्री संबंधी नियम

1. आयोग के प्रकाशन, आयोग के बिक्री पटल तथा भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के विभिन्न बिक्री पटलों पर उपलब्ध होंगे।
2. सभी प्रकाशनों की खरीद पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है। कुछ पुराने प्रकाशनों पर 75 प्रतिशत तक भी छूट दी जाती है।
3. सभी तरह के आदेशों की प्राप्ति पर आयोग द्वारा इनवाइस जारी की जाती है। अपेक्षित धनराशि का बैंकड्राफ्ट या मनीऑर्डर अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली (**Chairman, C.S.T.T., New Delhi**) के नाम देय होना चाहिए। चेक स्वीकार्य नहीं होगा। अपेक्षित धनराशि प्राप्त होने के पश्चात ही पुस्तकें भेजी जाती हैं।

4. चार किलोग्राम वजन तक की सभी पुस्तकें सामान्य डाक/अपंजीकृत पार्सल से भेजी जाती हैं। पुस्तकें भेजने पर पैकिंग तथा फॉरवर्डिंग चार्ज नहीं लिया जाता है।
5. चार किलोग्राम से अधिक सभी पुस्तकें रोड ट्रांसपोर्ट से भेजी जाती हैं तथा इन पर आने वाले सभी परिवहन-व्ययों का भुगतान माँगकर्त्ता द्वारा ही किया जाएगा।
6. पुस्तकें रोड ट्रांसपोर्ट से भेजने के बाद आयोग द्वारा मूल बिल्टी तत्काल पंजीकृत डाक से माँगकर्त्ता को भेज दी जाती है। यदि निर्धारित अवधि में पुस्तकों को ट्रांसपोर्ट कार्यालय से प्राप्त न किया गया तो उस स्थिति में लगने वाले सभी तरह के अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान माँगकर्त्ता को ही करना होगा।
7. रोड ट्रांसपोर्ट से भेजी जाने वाली पुस्तकों पर न्यूनतम वजन का प्रभार अवश्य लगता है जो प्रत्येक दूरी के लिए अलग-अलग होता है। यदि संबंधित संस्था चाहे तो आयोग में सीधे ही भुगतान करके पुस्तकें ले जा सकती है।
8. दिल्ली तथा उसके नजदीक के क्षेत्रों के आदेशों की पूर्ति डाक द्वारा संभव नहीं होगी। संबंधित संस्था को आयोग के बिक्री एकक में आवश्यक भुगतान करके पुस्तकें प्राप्त करनी होंगी।
9. पुस्तकों की पैकिंग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि माँगकर्त्ता को सभी पुस्तकें अच्छी स्थिति में प्राप्त हों। पुस्तकें सामान्य डाक/अपंजीकृत पार्सल/रोड ट्रांसपोर्ट से भेजी जाती हैं। यदि परिवहन में पुस्तकों को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचता है तो उसका दायित्व आयोग पर नहीं होगा।
10. सामान्यतः बिल कटने के बाद आदेश में बदलाव या पुस्तकें वापस नहीं होंगी। यदि क्रय राशि का समायोजन आवश्यक होगा तो राशि वापस नहीं की जाएगी। इस स्थिति में पुस्तकें ही दी जाएँगी।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :

प्रभारी अधिकारी (बिक्री)
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम्,
नई दिल्ली-110066
फोन नं. 26105211/विस्तार-246

आयोग के प्रकाशनों की बिक्री के लिए प्रकाशन विभाग, भारत सरकार के बिक्री केंद्रों की सूची

क्र.सं.	पता	फोन नं
1.	प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, (शहरी कार्य व रोजगार मंत्रालय), सिविल लाइंस, दिल्ली-110054	23967640/31 23967823
2.	किताब महल, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार बाबा खड्ग सिंह मार्ग, स्टेट एंपोरिया बिल्डिंग, यूनिट नं. 21, नई दिल्ली-110001	23363708
3.	पुस्तक डिपो, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार के. एस. राय मार्ग, कोलकाता-700001	033-248381,3
4.	बिक्री काउंटर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, न्यू मेरीन लाइंस, मुंबई-400020	
5.	बिक्री काउंटर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, उद्योग भवन, गेट नं.-3, नई दिल्ली-110001	385421/291
6.	बिक्री काउंटर, प्रकाशन विभाग, (लॉयर्स चैंबर) भारत सरकार, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली-110003	23383891
7.	बिक्री काउंटर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110001	

2857/HRD/11 — MGIPRRND — 2000 Copies

© Government of India
Controller of Publications

पी.सी.एस.टी.टी. 2 (7-9) 2010

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली-110064 द्वारा
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 द्वारा प्रकाशित ।
2011